The question was put and the motion was adopted

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

श्रीमन्, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

THE ABOLITION OF CASTE AND RELIGIOUS TITLES FROM NAMES BILL, 1983

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chitta Basu absent.

Mr. Sukomal Sen absent.

Mr. S. W. Dhabe absent.

Mr. Murasoli Maran absent.

Mr. Adinarayana Reddy.

SHRI ADINARAYANA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, with your permission I move:

> That the Bill to provide for the abolition of caste and religious titles from names, be taken into consideration.

Sir, the title of the Bill is to provide for abolition of caste and religious titles from names. But my main intention in bringing this Bill is to provide a full-scale discussion on the present casteism and communal tendencies that have raised their ugly head in this country. In the Statement of objects and Reasons it is said in our country, communal, anti-social and divisive forces are trying to disintegrate the country by fomenting caste and religious feelings. Communal disturbances have been taking place quite frequently in different parts of the country. This is leading to the weakening of the democratic, secular and national character of our nation. The aim of achieving national integration in our country can be fulfilled only when a casteless and classless society is established. What is happening today is that a person is required to state his caste or religion in the forms prescribed by various Government Departments, educational institutions, Public Services Commissions, Employment exchange etc. This is evidently not in consonance with our cherished objectives. It is, therefore, necessary to eliminate the requirement of mentioning the caste and religion in any such form or other documents.

Today we see and encounter in every walk of life, including the political arena, and the recruitment for jobs, the monster of caste and communal considerations trying to dominate and vitiate the atmosphere. That is the very reason for the forces of secularism to unite to carry on a relentless fight against these chauvinistic forces which are trying to engulf the country in a civil strif which in turn will result in the disintegration of the country. This must be resisted and prevented at any cost by all right-thinking persons who believe in secularism, democracy and integrity of the country.

We are well aware what had happened in the past whenever the communal forces gained upper hand and how it ultimately led to the partition of the country. Unless the secular forces are united to wage a war against casteism and communalism, the forces of disintegration in the garb of caste and religion will try their best to retard the onward march of the nation on secular and scientific lines.

The communalists and casteists want no essential change of the political and economic structure. They are interested in the preservation of their vested interests and "Status-Quo". As a matter of fact, they function politically by calling themselves non-communal and try to confuse the masses.

Here I would like to quote the following:

"The communal organisations and parties have no programme except a negative one of not disturbing the social order," said our great leader Pandit Jawaharlal Nehru. He further said: "The bulwark of communalism today is political reaction and we find that communal leaders inevitably tend to become

[Shri Adinarayana Reddy]

reactionaries in political and economic matters."

Panditji's words uttered more than two decades ago apply very much to the present day conditions in our country. Today these divisive forces of communalism and casteism are aided and abetted by foreign reactionary forces.

Our nationalism essentially is secular. It [illegible]ed to communal sectarianism. The freedom movement in the country strengthened the forces of secularism and people were not giving importance to caste or religion. The nationalist movement brought to the fore the latent energies of the nation to combat the forces of communalism. However, the divide and rule' policy of the British rulers encouraged communalism and casteism and other sectarian considerations. The communal representation extended to the Muslims in 1909 and the attempt to do so even in the case of Scheduled Castes paved the way finally for the partition of the country in the name of religion. Hence, let us learn lessons from history.

In this age, science and technology are making rapid strides. Science enables us to break the barriers that divide people and bring them closer to live in a global village. The revolution in communications and other scientific advancements enable us to cross hitherto unsurmountable barriers. We could reach the moon; explore the outer space. But, the barriers in the name of caste and religion are making strangers of their own brothers. Science enabled us to cross the physical barriers, but the mental barriers of caste and religion still divide the people.

Ours is a forward looking nation. We have a bright future in the comity of nations. The future of India is not linked with the sectarian consideration of caste or communalism. India's future is linked with secularism and socialism.

Religion can continue as a personal matter. State has nothing to do with religion. Mahatma Gandhi, Father of the Nation, stated the same in unequivocal terms immediately after achieving Independence. I quote:

"Religion was a personal matter and if we succeeded in confining it to the personal plane, all would be well in our political life. The manifestation of brotherhood which we witnessed today would prove a passing show if we did not consolidate it by suitable acts in the social and political spheres. If the officers of the Government as well as members undertook the responsibility and worked wholeheartedly for the creation of a secular State, then only, could we build a new India that would be the glory of the world."

Thus Mahatma Gandhi emphasised the necessity to strengthen secular State by making religion a personal matter.

By the bold step taken by our late Prime Ministry, Shrimati Indira Gandhi in 1976, the Indian Constitution was amended and in the Preamble the words 'Secular and Socialist" were added.

Secularism and social reform are part and parcel of the national movement. Lokmanya Balagangadhar Tilak said, I quote:

'If God ordained untouchability, I will not recognise that God."

Mahatma Gandhi went further and said, I quote:

"If untouchability is to be regarded as part of Hinduism. I cease to be a Hindu."

DR. Ambedkar and Prime Minister, Jawaharlal Nehru tried their best to mould the Indian Constitution on secular lines. Untouchability was abolished and discrimination in any form was prohibited. Thus Ambedkar and Jawaharlal Nehru promoted secular outlook in all fields of life.

Nationalism transcends the obligations and loyalties of caste, tribe, race and religion. In a national State, the relationship between the citizen and the Government is only concerned with his or her loyalty to the nation. Government should not be concerned with anybody's religious or non-religious views as they are personal matters and are subjective feelings.

The State should recognise every citizen only as citizen shorn of all other divisive and sectarian affiliations like caste and religion. Then divisive and sectarian feeling are discouraged and pushed aside as unimportant matters from the mainstream of national and social life. If the Government itself is interested in knowing the differences of caste and religion, people will naturally think that as the Government is also interested in knowing the caste and religion of the citizens such a feeling among the citizen promotes a non-national aspect. As caste and religion promote non-national feelings, there is a danger that by the conspiracy of circumstances non-national feelings may promote anti-national feelings. Hence by removing the columns of caste and religion from all the forms, Government would create a congenial atmosphere for promotion of national integration.

Sir, the Government of India has issued orders for abolition of reference to caste and sub-caste. But, the columns continue to be in the forms. This leads to complications.

Whatever impressions children gather in their childhood, they will leave a deep impression on their further life. We have to give training to our children for a casteless and secular society. If they are constantly reminded that they should belong to a caste and a religion, we are giving them training to think always on the lines of caste and religion. In order to bring up our children as future citizens, it is our responsibility to bring them up without any mention of caste and religion.

Sir, let me clear one thing. When I say 'casteless and religionless', let not the hon. Members of the House misunderstand that I wish to promote something immoral. Let me, make it clear that caste and religion have nothing to do with the promotion of morality. One can be good and do good to others without religion. This has been amply demonstrated by the atheists, humanists, rationalists and progressive-minded people all over the world. In India, Periyar E. V. Ramaswami, Gora and M. N. Roy are shining examples in this regard apart from the national leaders of the time. Sir, let me repeat that the removal of references to caste and religion in application forms is a small but significant step in the direction of national integration. The abolition of the column will not affect the interests of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and others who have reservations. They will enjoy the benefits by filling separate form for that purpose.

Sir, in the modern age, the Government is an important instrument of social change. Government should promote secular values and secular outlook. Communal riots must go. Caste barriers must fall. Religion should be only a personal affair. State has nothing to do with it as religion is a personal affair. When we march towards castelessness and secularism, Government and people would devote their time and energies to the real problems of the people.

Poverty, hunger and inequality are the real enemies of social progress. Hence, I appeal to all the hon'ble Members to consider this Bill for the abolition of caste and religion columns in all the Government applications and pave the way for social and economic change in this country.

The question was proposed.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विधेयक पेश किया है वह विधेयक अच्छा है, स्वागत योग्य है लेकिन जो भारत की मूल समस्या है जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक यह ऊपर से करने से कुछ नहीं होगा ।

प्रेम ऐसा मत कीजिए जैसे खीरा
ऊपर से दिल मिले भीतर से काटे तीर ।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

खीरा जो है उसके अन्दर तो तीन फांके हैं लेकिन ऊपर से देखने में एक लगता है। आप ने यह जो रखा है कि जाति, धर्म और सम्प्रदाय सरकारी फार्म में नहीं रहना चाहते, किसी के नाम के आगे ऐसा भी नाम न जोड़ा जाए जिससे जाति, धर्म और सम्प्रदाय का कोई बोध होता है इस को सब को हटा भी दिया जाए और विधेयक में यह सब हटा कर पास भी कर दिया जाए लेकिन जब तक हिन्दुस्तान से जाति प्रथा का समूल नष्ट नहीं होगा तब तक यह ऊपर से इलाज करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। जाति प्रथा ही हिन्दुस्तान में सबसे जबरदस्त हिन्दुस्तान की बीमारी है। हिन्दुस्तान में भृष्टाचार, हिन्दुस्तान मे अन्याय, हिन्दुस्तान में शोषण, हिन्दुस्तान में अराजकता, हिन्दुस्तान में आतंकवाद, हिन्दुस्तान में डकैत जो हैं, इन सब की जड़ में एक मात्र यही चीज गन्दे कोड़ा पर यह भृष्टाचार, आतंकवाद है तो रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा जिससे शोषण आदि के जितने कीड़े हैं ये सब जन्म लेते हैं, पनपते हैं, पलते हैं, विकसित होते हैं। अगर इन सब को मिटाना है ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें भारत में इस जाति प्रथा का नाश हो जाति प्रथा के कारण हिन्दुस्तान वा गुलाम हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिन्दुस्तान की तरह इतने दिनों तक गुलाम रहा हो। लेकिन मैं उस अंग्रेज को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने प्रश्नोत्तर के समय अपने लोगों से यह पूछा कि हिन्दुस्तान को हमने इतने दिनों तक गुलाम रखा इसका कारण क्या है? सभी ने अलग-अलग उत्तर दिये। लेकिन एक शिक्षक ने बताया कि हिन्दुस्तान को इतने दिनों तक गुलाम जो हमने रखा उसके लिए सबसे बड़ा कारण है हिन्दुस्तान की जाति प्रथा। क्योंकि हिन्दुस्तानी नाम का कोई आदमी हमने वहां देखा ही नहीं। हिन्दुस्तानी कौन है, हिन्दुस्तान क्या है, भारत क्या है, भारतीय क्या है वहां हमने कहीं देखा नहीं। हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहर हैं, लोहार हैं, यादव हैं, बनिये हैं, तेली हैं, सुनार हैं। कहने का मतलब यह है काका कालेलकर से लेकर मंडल कमीशन तक जो जातियां, उपजातियां बताई गई हैं वे साढ़े चार हजार के करीब हैं। जातियां, उपजातियां केवल हिन्दुस्तान में ही बटी हुई हैं। केवल जातियां ही नहीं, जातियों की भी उपजातियां हैं। जैसे ब्राह्मण हैं और इस ब्राह्मण के कई गोत्र होंगे, भूमिहर हैं तो उसके कई गोत्र होंगे, राजपूत हैं तो उसके कई गोत्र होंगे, जाति की उप जाति, उप जाति की उप जाति, उप जाति की उप जाति इत्यादि इतने जाति के टुकड़े टुकड़े कर दिये गये हैं कि अब भारतीय नाम का कोई बोध हमारे यहां से होता ही नहीं। इस जाति प्रथा को जब तक नहीं मिटायेंगे तब तक सब कुछ चलता रहेगा। जन्म भी लेगा जाति में, मरेगा भी जाति में। जाति व्यवस्था से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, हिन्दुस्तान में जाति व्यवस्था से आप बच नहीं सकते हैं। श्मशान में भी जाति पीछे लगी रहती है। श्मशान में भी जाति-प्रथा से हिन्दुस्तान में मुक्ति नहीं मिलती है। जबरदस्ती आपको जाति प्रथा में रखने के लिए मजबूर किया जाता है। घोड़े और गधों की तरह से आप पर जाति प्रथा लाद दी जाती है। आपको किसी न किसी जाति में रहना पड़ेगा। इसमें आप बच नहीं सकते हैं। इस देश का यह दुर्भाग्य है कि इस देश में मनुष्य धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकता है। हिन्दुस्तान में कोई भी आदमी हिन्दू धर्म बदल कर इस्लाम ग्रहण कर सकता है, लेकिन जाति प्रथा वहां भी उसके साथ होती है। अगर ब्राह्मण मुसलमान बनता है तो वह सैयद कहलाता है और कोई दूसरा मुसलमान बनता है तो कूड़ा-कबाड़ बनता है। इसी प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण ईसाई बनता है तो वह ऊंचा ईसाई कहलाता है और कोई हरिजन ईसाई बनता है तो नीच कहलाता है। हिन्दुस्तान में धर्म परिवर्तन करना आसान है, लेकिन जाति परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। दूसरे धर्म में भी वह अपनी जाति लेकर जाता है। इस जाति प्रथा ने हजारों वर्षों से इस हिन्दुस्तान को कुंठित किया

है । हिन्दुस्तान की किसी चीज ने उतना कुंठित नहीं किया जितना इस जाति प्रथा ने किया है । इसने हिन्दुस्तान के ज्ञान-विज्ञान को कुंठित किया है । इस जाति प्रथा ने हिन्दुस्तान को गतिशील नहीं होने दिया । ऐसी स्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है कि इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए । हिन्दुस्तान के इतने वर्षों तक गुलाम होने का कारण यह जाति प्रथा है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसी जाति प्रथा के कारण हमारे देश का नाश हुआ है । इसी जाति प्रथा ने हमारे देश की औरतों को निकम्मा बना दिया । अगर हमें हिन्दुस्तान को एक शक्तिशाली और मजबूत देश बनाना है तो इस जाति प्रथा को जड़ मूल से समाप्त करना होगा । यह जाति प्रथा हमारे देश में सब बुराइयों की जड़ है । आज अराजकता और आतंकवाद में भी इसी जाति प्रथा का हाथ है । अगर कोई डकैत मर जाता है तो लोग उसकी जात पूछते हैं और अगर वह उनकी जाति का होता है तो उनके दिल से आह निकलती है कि वह उनकी ही जाति का है । इस भावना को हमें अपने दिलों से जड़-मूल से निकालना होगा । हमें अपनी शिक्षा में परिवर्तन करना होगा । बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना होगा कि जाति प्रथा में कुछ नहीं रखा है । आपको इसको समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे । जाति प्रथा और वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे । हिन्दुस्तान के ग्रंथों में लिख दिया गया कि मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने-पढ़ाने का काम कर सकते हैं मुट्ठी भर लोग ही सीमा पर लड़ने का काम कर सकते हैं, मुट्ठी भर लोग ही अपनी निजी सम्पत्ति अर्जित करने के अधिकारी होंगे और शेष लोग गधे-घोड़ों की भांति सेवा का कार्य करेंगे । उनको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा । इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे समाज का बहुसंख्यक भाग अज्ञानी होता चला गया । धीरे-धीरे सभी वर्गों के अन्दर अज्ञानियों की संख्या बढ़ती गई । समाज में विद्वानों का अभाव हो गया और निरक्षर लोग मारे-मारे फिरने लगे । इसका परीणाम यह हुआ कि देश गुलाम होता चला गया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दुस्तान पर मुट्ठी भर विदेशियों ने आक्रमण किया और वे इस देश को गुलाम बनाते चले गये । बाबर, चंगेजखां, तैमूरलंग, ईस्ट इंडिया कम्पनी आदि के मुट्ठी भर लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करते चले गये ।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : बाबर तो हमलावर था ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमलावर था, वही तो मैं कह रहा हूं । मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को गुलाम बना दिया । बारह सौ घुड़सवारों को लेकर या दो-तीन सैनिकों को लेकर या व्यापारी बन कर वे लोग आए और देश को गुलाम बनाते चले गए । आप जानते हैं कि भारत के विख्यात पुराने शास्त्रों के आधार पर स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल मुंशी ने 'जय सोमनाथ' लिखा । आचार्य चतुरसेन ने भी लिखा है कि जिस समय जय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा था जो राजा भीमदेव अन्य राजाओं को आमंत्रित कर रहे थे कि आओ, जय सोमनाथ मंदिर की रखवाली करो और जय सोमनाथ मंदिर को बचाओ और अपने धर्म की रक्षा करो । लेकिन उस समय जितने राजपूत राजा थे उन्होंने इंकार किया और कहा कि नहीं-नहीं गूजर राजा के नेतृत्व में हम क्या सोमनाथ मंदिर की रखवाली करेंगे, गूजर की सरदारी में क्या हम लड़ने जायेंगे ? यह कभी नहीं हो सकता, एक गूजर की ठेकेदारी में हम कभी नहीं लड़ेंगे और वह देखते-देखते सोमनाथ मंदिर को लूटकर चला गया और मंदिर ध्वस्त हो गया, यह भारत का इतिहास रहा है । कहते हैं कि युद्ध में लड़ते लड़ते मर गये लेकिन वे हिन्दुस्तान की आजादी को नहीं बचा पाये । बड़े बड़े लड़ाके थे और वे ही केवल लड़ते लड़ते नहीं मरे बल्कि उनकी औरतें भी कटकर मर गई । लेकिन इसका क्या परिणाम मिला? हिन्दुस्तान आखिर गुलाम रहा ही और यह इसलिए कि उन्होंने हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक लोगों को कहा कि तुम्हारा काम लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम तलवार चलाना नहीं है, तुम्हारा काम सीमा पर जाना नहीं है, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, तुम्हारा काम लिखना नहीं है, तुम्हारा काम ज्ञानी बनना नहीं है, तुम्हारा काम बुद्धिमान बनना नहीं है, तुम्हारा काम

[श्री हुक्मदेव नारायण]

वेद शास्त्र पढ़ना नही है बल्कि तुम्हारा काम है कि तुम गधे बने रहो, तुम कुत्ते बने रहो और उससे भी बदतर बने रहो । यह इस जाति प्रथा की देन है या नहीं यह मैं पूछना चाहता हूं ? आज भी आप मन्दिर में चले जाएं, उपसभापति महोदय, आपने उस व्यवस्था को नही देखा है, कुत्ता चला जाये, बिल्ली चली जाये, चूहा चला जाये, छछूंदर चला जाये, चिड़िया चली जाये या कोई भी जानवर चला जाये, मंदिर में चला जाये तो मंदिर का देवता अपवित्र नहीं होता । कुत्ते के चाटने से मंदिर का देवता अपवित्र नहीं होता, बिल्ली के चाटने से मंदिर का देवता अपवित्र नहीं होता, छछूंदर के चढ़ जाने से मंदिर का देवता अपवित्र नहीं होता लेकिन भारत में मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है, पतित और गिरा हुआ जानवर बना रखा है जो अगर मंदिर में जाता है तो उसके जाने से मंदिर का देवता अपवित्र हो जाता है । कहने का मतलब यह है कि भारत में इस जाति प्रथा के अन्तर्गत इन लोगों की स्थिति कुत्ते, बिल्ली, छछूंदर इत्यादि से भी बदतर बनी हुई है । समय-समय पर समाज में विद्रोह हुए । गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, राजाराम मोहन राय, एक के बाद एक लोग आए और उन्होंने जाति प्रथा पर प्रहार किया और जाति प्रथा को हिलाया । लेकिन फिर भी जाति प्रथा अपनी जगह पर बरकरार है । मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल सांस्कृतिक नारा देने वाले संत, साधु और विद्वान महात्माओं के जरिये पुस्तकें लिखी जायें और वे सांस्कृतिक परिवर्तन का आन्दोलन चलायें, इससे जाति प्रथा नहीं मिटेगी । जब तक सत्ता के जरिये संकल्पबद्ध होकर काम नहीं किया जाता, अगर सत्ता के जरिये सरकार के मन में यह संकल्प हो और सरकार इसके लिये प्रतिबद्ध हो कि हमें जाति प्रथा को मिटा देना है, हमें जाति प्रथा का नाश करना है तभी यह मिट सकती है । आज समय आ गया है जब हम इसको मिटाने का संकल्प करें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं पहली बात यह कि अगर जाति प्रथा को मिटाने का आपका संकल्प है तो सभी चीजों के लिये आप रिजर्वेशन करते हैं, मैं नही चाहता कि बैकवर्ड और हरिजनों के नाम पर रिजर्वेशन हो लेकिन वह एक अलग सवाल है । लेकिन अगर जाति प्रथा को मिटाना हो और आप आरक्षण की बात चलाते हो तो सब मिलकर एक स्वर से संविधान में संशोधन करें । और सब मिलकर इस संसद में कानून बनायें कि सरकारी नौकरियों के लिये अन्तर्जातीय विवाह अनिवार्य होगा । आप कहेंगे कि अनिवार्य हम कैसे कर सकते हैं । आप अपने द्वारा जारी विज्ञापनों में कहते हैं कि इस नौकरी के लिये बी. ए. पास करना जरूरी है, अमुक नौकरी के लिये एम. ए. पास करना जरूरी है, अमुक नौकरी के लिये आई. ए. एस. कम्पीटीशन में पास होना जरूरी है, अमुक नौकरी के लिये आई. पी. एस. में पास करना जरूरी है, इसके लिये आप अपनी बुद्धि से उनकी योग्यता की जांच करते हो, इसमें आप उसकी बौद्धिक योग्यता की जांच करते हैं, लेकिन उसके दिल की जांच नहीं करते । इंसान अच्छा है या बुरा है, इसका स्थान दिल होता है, मस्तिष्क नहीं होता है । मस्तिष्क केवल बुद्धि का मापदंड है । मनुष्य मनुष्य है, उसके दिल में नफरत कहां है, उसके दिल में मुहब्बत कहां है, इसका माप्दंड हृदय है । लेकिन हृदय की आप जांच नही करते । इसलिये हृदय की जांच के लिये आप एक आधार बनाओ कि सरकारी नौकरियों में हम उन्हें ही प्राथमिकता देंगे जो अन्तर्जातीय विवाह करेंगे । सरकारी नौकरियां उनकी योग्यता के मुताबिक दें और केवल उन्ही लड़के-लड़कियों को जिनकी उस स्थान के लिये योग्यता हो और जो अन्तर्जातीय विवाह करेगा, अन्तर्जातीय विवाह करने

3 P. M.

वालों को सरकार के जरिये गारंटी दी जाये । उनका जमानतदार कौन होगा ? यह क्रूर समाज है । मां-बाप लड़का-लड़की अगर इस जाति की धारा को तोड़ना चाहते हैं भारत को इस कुंठा से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो समाज उनको दंडित करता है, उनको निकालता है, उनको हटाता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उपहास करता है । मां-बाप अगर छोड़ दें, मां-बाप अगर शक्तिशाली हों तो समाज छोड़ भी दे लेकिन फिर उनके बच्चों से उसका बदला लिया जाता है । अगर कोई अन्तर्जातीय विवाह करे तो

उनके जो बच्चे पैदा होंगे वे किस जाति के हैं ? इस तरह से समाज उनसे बदला लेता है । ऐसी जो हमारे यहां क्रूर सामाजिक व्यवस्था है उससे अगर मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो समाज के अन्दर अन्तर्जातीय विवाह का कानून बना दो और कहो कि उनकी गारंटी सरकार लेती है । आज जो युवक युवतियां आगे बढ़ कर के अन्तर्जातीय विवाह करते हैं हिन्दुस्तान में जो यह परिवर्तन का काम करते हैं वे सचमुच में भारत माता के असली सपूत कहलाने के हकदार हैं । आज जो अन्तर्जातीय विवाह की ओर बढ़ता है समाज में उसके विरुद्ध विद्रोह बढ़ता है जो जाति प्रथा को लात मार कर भारत में नयी संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे जोड़ों को ऐसे युवक, युवतियों को सरकार प्रोत्साहन दे, सहारा दे और पुरस्कृत करे । उनके लिए जमानतदार सरकार बने और उनको कहे कि तुम घबराओ मत अगर तुम अन्तर्जातीय विवाह करोगे तो तुमको हम नौकरी देंगे, तुम्हारे बच्चों को संरक्षण देंगे, समाज में तुम्हारा ऊंचा स्थान रहेगा । सर्व दोष लक्ष्मी हरे । उनको नौकरी, पद देने से उनका स्थान ऊंचा रहेगा सब उनके आगे झुकेंगे । इसलिए सब से पहले अन्तर्जातीय विवाह को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा और उनको सब तरह से संरक्षण देना पड़ेगा । अगर साहस है जैसे मैंने कहा सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है । संविधान में परिवर्तन करके कर सकती है, संसद में कानून बना कर के इसको किया जा सकता है । जाति प्रथा कहां से चलती है ? ईमानदारी से पूछिये तो जाति प्रथा चलाने वाले कौन हैं ? जाति प्रथा चलाने वाले के खिलाफ चाहे जितना बोलें लेकिन हम भी उस जाति प्रथा का कहीं न कहीं अंग बने हुए हैं । किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है हमारे बिहार में जो सब से नम्बर एक का डाकू है, नम्बर एक बेईमान है, नम्बर एक का लुटेरा है, अपनी जाति का सब से बड़ा सरगना वही है । जाति का सब से बड़ा सरगना कौन है ? लुटेरा नम्बर एक, कालाबाजारी नम्बर एक, चोर नम्बर एक, डाकू नम्बर एक, तस्कर नम्बर एक, भ्रष्टाचारी नम्बर एक, पाकेटमार नम्बर एक, जो कहीं न कहीं से दुनिया भर का माल जमा करता है अपनी जाति का सरदार वही बना हुआ है । सब उसके यहां जाते हैं और सिर झुकाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं । जाति के नाम पर गुण्डे तथा गोली बारूद वाले तत्व संरक्षण पा रहे हैं, वहां से अराजकता की स्थिति पैदा होती है चाहे आप कहो सम्प्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर वहां से सारी गति चल रही है । एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाये । जो प्रहार करता है उसको मिटाना है, आज भारत को मुक्त करना है, शोषणमुक्त समाज बनाना है उसी क्रम में मैं निवेदन करूं कि क्या कारण है कि जाति प्रथा है ? निहित स्वार्थ वाले नहीं चाहते हैं कि जाति प्रथा टूटे। क्योंकि समाज में वह आज सब से ऊपर है । हमारे भाई कल्पनाथ राय जी और हम लोग जब एक संगठन में थे तो हम लोग एक नारा लगाते थे। राजपाट किस के हाथ, अंग्रेजी भाषा, ऊंची जात,

ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम,
छोटी जाति की क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान,
राजपाट है किस के हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात ।

यह तीनों चीजें जिस के हाथ में हैं वही इस देश का नम्बर एक का आदमी है । तीन में, ऊंची जात, अंग्रेजी भाषा जानता हो, खूब पैसे वाला हो, पूंजीपति हो । तीन में से जिस के पास दो चीजें हैं वह देश का नम्बर दो की कुर्सी पर है । जिसके पास इन तीन में से एक चीज है वह देश की नम्बर तीन की कुर्सी पर है । जिसके पास इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं है वह हिन्दुस्तान का नागरिक ही नहीं है, वह इस देश में रहने लायक ही नहीं है, उसको इस देश से निकाल दो । अंग्रेजी भाषा, ऊंची जात और पैसा । ये तीन चीजें जिनके हाथ में हैं आज वह सत्ता का अधिकारी है । राजनैतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, भूमि की सत्ता किसके हाथ में है ? वह मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है । प्रशासन उसका है, राजसत्ता उसकी है, कानून उसके हाथ में है । हम संसद में कानून बनाते हैं कि जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए । नारा लगाते

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

हो संसद में, कानून बनाते हो कि जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए । चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम । लल्कार देते हो गरीबों को, हरिजनों को, पिछड़ों को, मजदूरों को कि सूली पर चढ़ जाओ तुम जमीन के मालिक हो और जमीन बट कर रहेगी, भूखी जनता अब न सहेगी धन और धरती बंटकर रहेगी । कमाने वाला खाएगा । नारा लगाते हो उनको आगे बढ़ाते हो भूमि हदबंदी कानून पास करते हो लेकिन जब वह जमीन पर चढ़ता है, लैंड सीलिंग से हदबंदी से फाजिल जमीन का बंटवारा करते हो तो अर्बन में निहत्थे मजदूरों पर गोली चलाकर सौ सौ आदमियों को डायर की संतान जैसे फूंक देते हो । धरती लाल कर देते हो । कहां है यह जाति प्रथा ? जाति के नाम पर सेनाएं बन चुकी हैं । लोरिक सेना, लाल भूमि सेना, कौन कौन सेना । जाति के नाम पर सेनाएं बनती हैं, जाति के नाम पर जंग और युद्ध हो रहे हैं इससे मुक्ति दिलाना चाहते हो ? मुझे पीड़ा इसलिए है कि बिहार में आज इन दिनों जो हो रहा है वह जाति प्रथा के कारण हमें भोगना पड़ रहा है । हमारा जीना दूभर हो गया है । न केवल सम्मान, न केवल प्रतिष्ठा न केवल इज्जत खतरे में है बल्कि मनुष्य की जिंदगी, संपत्ति, मनुष्य का सर्वस्व आज बिहार में खतरे में पड़ा हुआ है और इसी जाति प्रथा के कारण, जाति विद्वेष के कारण इसी जातीय युद्ध के कारण आज यह स्थिति पैदा हो गयी है ।

उपसभापति महोदय, अगर पंजाब में 5 आदमी मर जायें, 10 आदमी मर जायें तो सम्पूर्ण देश में छापते हो टेरोरिस्ट के नाम पर कि टेरोरिस्ट ने 5 मार दिये, पंजाब अशांत है और कभी अर्जुन सिंह को भेजो, कभी सिद्धार्थ शंकर राय को भेजो, बी. एस. एफ. लाओ, सी. आर. पी. एफ. लाओ, पलटन लाओ, पंजाब को नियंत्रित करो । 5 आदमी मर जायें, दुनिया हिलती है, 10 मर जायें, देश हिलता है, संसद हिलती है, शोक मनाते हो और बिहार में 5-10 आदमी मरना तो गरीबों के लिए खेल की बात है । वह तो चिड़िया बने हुए हैं बड़े लोगों की बंदूकों के शिकार बनते हैं । उनका शिकार किया जाता है । भूमि सेना के नाम पर, लोरिक सेना के नाम पर जो जमीन वाले लोग हैं, पूंजी वाले लोग हैं पलटन बनाते हैं, पुलिस उनके साथ चलती है पुलिस पीछे पीछे और पलटन बनाकर आगे चलते हैं और हरिजनों के घरों को उजाड़ते हैं, गरीबों के घरों को उजाड़ते हैं, उनको मारते हैं। आप कहते हो ये नक्सलाइट हैं, ये नक्सलपंथी हैं । तथाकथित नक्सलपंथियों के नाम पर आज उस धरती को लाल कर रहे हो । क्यों ? क्योंकि वह गरीब है, वह भूमिहीन है, मजदूर है और हजारों लाखों करोड़ वर्षों से जाति व्यवस्था में उसको समाज के सबसे नीचे वर्ग में रखा गया है इस महात्मा गांधी के देश में, जिस महात्मा गांधी ने हरिजनों को गले लगाने का, हरिजनों के उद्धार का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया । अफसोस उसी गांधी जी के नाम पर चलने वाली जमात के लोग उनको भूल रहे हैं । उस महात्मा गांधी के देश में, उस चम्पारन में जहां से गांधी ने चुनौती देकर निलहों के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल फूंका, सम्पूर्ण दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पाये को हिलाया था आज उसी गांधी की भूमि पर यह हरिजन इस जाति प्रथा के कारण मारे जाते हैं । क्यों ? नौकरी में कौन, जिनके पास जमीन ज्यादा है उन्हीं का बेटा मिनिस्टर बनेगा । जिनके पास जमीन ज्यादा है उन्हीं का बेटा हाईकोर्ट बनेगा, जिनके पास जमीन ज्यादा है उन्हीं का बेटा हाईकोर्ट का जज बनेगा, जिनके पास जमीन ज्यादा है उन्हीं का बेटा हाईकोर्ट में वकालत करेगा । जाओगे कहां ? वकालत भी करेगा तो जमीन वाले का बेटा, बहस भी करेगा तो जमीन वाले का बेटा, फैसला भी लिखेगा तो जमीन वाले का बेटा, कानून भी बनाएगा तो जमीन वाले का बेटा, जमीन भी दिलाएगा तो जमीन वाले का बेटा, बंटवारा भी कराएगा तो जमीन वाले का बेटा, जमीन पर चढ़वायेगा भी तो जमीन वाले का बेटा और गोली से मार-मार कर सताएगा भी तो जमीन वाले का बेटा । जाओगे कहां, निकलने नहीं दिये जाओगे ।

तो आज आपने जो कानून लाया है, विधेयक लाया है वह स्वागत योग्य है । गांधी जी ने वर्गविहीन और वर्णविहीन समाज की कल्पना की थी, कोई भी शोषण नहीं रहेगा । आर्थिक शोषण, सामाजिक

शोषण, धार्मिक शोषण आध्यात्मिक शोषण, नैतिक शोषण, बौद्धिक शोषण कोई नहीं। अगर इनसे भारत को मुक्त करना है तो शोषण की सबसे नम्बर एक जड़ हिन्दुस्तान की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को हटाना होगा । हम सब लोग मिलकर इसके लिए जुटें । और अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने राष्ट्र-पिता गांधी के प्रति अपने संविधान के प्रति हममें श्रद्धा है अपने संविधान के प्रति हमें श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है, तो सब मिल कर के जुटें और संसद से कानून पास करके जाति को समूल रूप से उखाड़ करके नष्ट कर देना है और इस जाति-रूपी वृक्ष को उखाड़ कर, सुखा कर, जब तक जला करके राख नहीं कर देंगे, तब तक यह उप-नाम, यह पदवी, फार्म बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है । असली रोग जो है, उस रोग के निदान के लिए हम सब आगे बढ़ें और मिल-जुल करके इस जाति-प्रथा को मिटाने के लिए संकल्पित होकर काम करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और माननीय सदस्य के विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Sir, I would like to know who is the concerned Minister in the House for this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. Mr. Gadgil is here. He will be taking notes.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति जी, हमारे मित्र श्री आदिनारायण रेड्डी जी जो यह विधेयक लाये हैं, मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं और समर्थन करता हूं ।

हमारे मित्र श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने अभी जाति-प्रथा और धर्म और सम्प्रदाय के नाम से देश में नाम या जातियां न रहें, श्री आदिनारायण ने प्रस्ताव किया है कि नामों से जाति और धार्मिक अभिनामों के उत्सादन का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । इस मुल्क में संकट है जाति का, इस मुल्क में संकट है भाषा का, इस मुल्क में संकट है सम्प्रदाय का और वर्ण और जोन के दो कटघरों में भारत का साहस और भारत में जोखिम उठाने की क्षमता दोनों नष्ट हो रही है ।

आदरणीय उपसभापति जी, धर्म दीर्घ-कालीन राजनीति है और राजनीति अल्प-कालीन धर्म है । सिद्धान्त दीर्घकालीन कार्यक्रम है और कार्यक्रम तत्कालीन सिद्धान्त है । जाति दीर्घकालीन वर्ग है और वर्ग अल्पकालीन जाति है ।

यह बुनियादी सिद्धान्त है और इन प्रश्नों पर संसद को विचार करना चाहिए ।

आदरणीय उपसभापति जी, यह भारत की संसद है । हुक्मदेव नारायण यादव जी एक लम्बी-चौड़ी तकरीर कर रहे हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जाति हिन्दुस्तान से टूट रही है और बड़े जोरदार ढंग से जाति-प्रथा खत्म हो रही है । सम्प्रदायवाद भी खत्म होगा और वर्ण और जोन के कटघरे भी टूटेंगे और उसको तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता । लेकिन आदरणीय यादव जी आज तक आपकी पार्टी यह भी तय नहीं कर पाई कि उनकी पार्टी किस भाषा में इस देश में बोलेगी । आज भी इस मुल्क में अंग्रेजी का बोलबाला है । 38 साल की आजादी के बाद इस मुल्क में एक राजभाषा होगी इस प्रश्न पर भी हम एक नहीं हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं--जाति की बात तो कठिन है, मैं भाषा के सवाल पर आता हूं कि हिंदुस्तान हमारा देश है, गांधी जी का आप नाम लेते हैं । गांधी जी ने कहा था कि मेरे हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी, मैं कलम की एक नोक से हिन्दुस्तानी को भारत की राजभाषा बनाऊंगा । अगर हम राजभाषा हिंदुस्तानी जानने वाले लोग ही फैसला करलें कि हम हिंदुस्तानी में बोलेंगे, तो भी जो थोड़े बहुत लोग विरोधी हैं, हिन्दुस्तानी वह हमारे बोलने से सीख जायेंगे, उनको मजबूर होकर हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी, लेकिन जब हम खुद ही अंग्रेजी में बोलते हैं, मुख में अंग्रेजी की बोली और हाथ में बंदूक की गोली लेकर हम खुद भारत की साठ

[श्री कल्पनाथ राय]

करोड़ की जनता की छाती पर बैठना चाहते हैं। आपकी जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व भाषा के सवाल पर क्या है? अस्पष्ट है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: आपका क्या है?

श्री कल्पनाथ राय: मैं पूछता हूं आपसे..

श्री हुक्मदेव नारायण यादव . आपका क्या है?

श्री कल्पनाथ राय : मैं यह नहीं कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** मैं कहता हूं कि आप हमसे कह रहे हैं न अपने को ... **(व्यवधान)** तो भाई हम तो उतने क्रांतिकारी नहीं हैं जितने आप हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नीति भाषा के संबंध में क्या है?

इस मुल्क की कोई भाषा होगी कि नहीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान बार-बार गुलाम हुआ है। विदेशी हमलावरों के सामने और हिन्दुस्तान की सत्ता पर जो हुक्मरान रहे हैं उनकी भाषा अलग रही है और जनता की भाषा अलग रही है। जब इस मुल्क में हिन्दुओं की हुकूमत थी तो राजकाज की बोली संस्कृत थी और जनता की बोली पाली थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ थी, हिन्दी थी। यह जनता की बोली थी। राज्काज की बोली संस्कृत थी। जब इस मुल्क के हुकुमरान मुगल या मुसलमान हुए तो राज-काज की बोली उर्दू रही और जनता की बोली मारठी, गुजराती, तमिल, तेलगू, हिन्दी आदि रही। अगर इस मुल्क की हुकूमत के मालिक अंग्रेज थे तो राज-काज की बोली अंग्रेजी थी और जनता की बोली हिन्दी, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलगू आदि भाषाएं थीं। अंग्रेजों के जाने के बाद भी हिन्दुस्तान की राज-काज की बोली अंग्रेजी ही है। यह हम सभी लोगों के प्रयास से है, यह सिर्फ एक दल की बात नहीं है और आज भी अंग्रेजी बरावर बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के राज-काज की बोली अंग्रेजी रहेगी तो हिन्दुस्तान पुन: गुलाम बन सकता है। इसकी संभावना बनी रहेगी। जिनको अंग्रेजी के दो अक्षर नहीं बोलने आते हैं, आ..आ.. गिटपिट बोलने लगते हैं, आज वे अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं। मैंने भी अंग्रेजी से एम.ए. पास किया है, मुझे भी अंग्रेजी आती है, मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, लेकिन मैं भारतमाता का बेटा होने के नाते अपनी मातृभाषा में ही संसद में बोलता हूं। मैं कभी भी अंग्रेजी में नहीं बोल सकता। मैं अंग्रेजी को काट कर सकता हूं, बोल नहीं सकता।...**(व्यवधान)**

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं रेड्डी जी से कहना चाहता हूं कि जो बिजनैस आफ दी हाउस है, अगर मैं उसे बिजनैस आफ दी हाउस बोल दूं, जो कि मुझे पढ़ना है तो उसमें क्या हर्ज है।

श्री बी॰ सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) हिन्दी में कहना चाहिए। हिन्दी में क्यों नहीं कहते?.. **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : मैंने हिन्दी में पढ़ा है। हिन्दी मत कहिए मैंने मातृभाषा में पढ़ा है। क्योंकि हिन्दी कह देंगे तो कुछ न कुछ एतराज हो सकता है।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी : मातृभाषा में कहो।

श्री कल्पनाथ राय : मैं जब से संसद् सदस्य हूं मैंने मातृभाषा में ही बोलने का प्रयास किया है। मैंने अंग्रेजी को काट किया है। जब भारत की संसद् में एक मामूली देश वियतनाम का राष्ट्रपति आयेगा या प्रधान मंत्री आयेगा तो वह अपनी बोली बोलेगा, रूस का प्रधान मंत्री आयेगा तो वह अपनी रूसी भाषा में बोलेगा। इंग्लैंड की थैचर आयेगी तो वह अपनी बोली में बोलेगी। मैंने इसी संसद् के सैन्ट्रल हाल में देखा कि चाहे दुनिया की 50 लाख की आबादी के देश का प्रधान मंत्री आया, चाहे 40 लाख के देश का चाहे 20 लाख के देश का या 10 लाख के देश का प्रधान मंत्री आया और चाहे 10 करोड़ या 20 करोड़ के देश का प्रधान मंत्री आया तो वह यहां पर अपनी ही बोली में बोला। लेकिन क्या हम अपने ही मुल्क हिन्दुस्तान में कभी अपनी बोली बोलते हैं? यह एक

बुनियादी प्रश्न है हिन्दुस्तान के सारे राजनीति करने वाले दलों के सामने ? चाहे वह सत्तारूढ़ दल हो या विरोधी दल हो यह एक बुनियादी सवाल है । जब गांधी जी की बात करते हो, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की बात करते हो, राजगोपालाचारी की बात करते हो, वीर सावरकर की बात करते हो, लोकमान्य तिलक या सी.आर. दास की बात करते हो या फिर गुजरात के गांधी की बात करते हो तो आजादी की लड़ाई के दौरान केवल मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के द्वारा ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई । बंगाल के होते हुए भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, "कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिन्दगी है कौम की, कौम पर लुटाये जा" की बात कही थी । राम प्रसाद बिस्मिल ने हिन्दुस्तान में, "दरो-दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं" की बात कही थी । चन्द्रशेखर आजाद ने भी कहा, "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे हम आजाद हैं, हमेशा आजाद ही रहेंगे ।"

आज भाषा का सवाल है । अगर हम जो जिस भाषा को जानते हैं, मैं सत्यनारायण रेड्डी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आन्ध्र के होते हुए भी वह मातृभाषा में बोलते हैं । मैं इस देश के करोड़ों वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उप सभापति महोदय, मुल्क में भाषा का एक सवाल है. यह नीतिगत सवाल है । भारतीय संस्कृति का दिन-रात नाम लेने वाले ये बी जे.पी. के लोग अंग्रेजी में ही बोला करते हैं, जो अपने को गांधी का उत्तराधिकारी बनने की बात करते हैं या कांग्रेस का विकल्प बनने की बात करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से ज्यादा क्रांतिकारी पार्टी के हैं, और हम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे उनके रहन-सहन का तरीका वही है । ये जो सी.पी.एम. के लोग हैं, राष्ट्रीयता के सवाल पर इनको कुछ नहीं है, ये तो अंग्रेजी बोलेंगे और चीन के सिद्धांत की बात करेंगे इनको न तो राष्ट्र से मतलब है और न सिद्धांत से मतलब है । ये तो बोलेंगे यही । इसलिए ये भाषा के सवाल पर दक्षिणपंथियों से भी ज्यादा दक्षिणपंथी हैं । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिणपंथियों से भी ज्यादा दक्षिणपंथी ये भाषा के सवाल पर हैं, भाषा के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा आगे है ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश के अन्दर सांप्रदायिकता की बात की गयी है । . . (व्यवधान) . . अब मैं सांप्रदायिकता के संबंध में कुछ बात करूंगा . . (व्यवधान)

SHRI M. A. BABY (Kerala): Sir, I am on a point of order. The Hon. Member is speaking on the language problem but that is not the subject matter of the Bill under discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, he is speaking very much within his limits.

श्री कल्पनाथ राय : आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं । आदरणीय उपसभापति महोदय, सांप्रदायिकता की बात कर रहा था । 1857 की आजादी की लड़ाई में हिन्दू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जफर के नेतृत्व में, दिल्ली के अन्तिम बादशाह के नेतृत्व में तात्या टोपे और सारे हिन्दू-मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लड़े । डलहौजी के नेतृत्व में पूरे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत पैदा हो गयी । तो एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है--अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दो बीबियां थीं, 1857 से 1905 तक तो अंग्रेजों की हिन्दू बीबी चहेती थी और 1905 से 1947 तक मुसलमान बीबी चहेती बन गयी यानी हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान को दो खेमों में अंग्रेज-साम्राज्यवादियों ने कर दिया और इससे पाकिस्तान का निर्माण हो गया । जो फिरकापरस्त थे, जो राष्ट्र-द्रोही थे, जनघाती थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान नहीं दिया, आज ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है. चाहे वे सरकारी पार्टी में हों या विरोधी हों, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक हैं, जो ज्यादा से ज्यादा कम्युनल हैं । आज बाबर की मस्जिद का सवाल उठाया जाता है । यह बाबर कौन था ? हिन्दुस्तान में हमेशा संघर्ष देशी और विदेशी के बीच रहा है । हिन्दुस्तान में कभी भी संघर्ष हिन्दू और मुसलमान के बीच नहीं रहा है । बाबर कौन था--बाबर हिन्दुस्तान पर एक हमलावर था । अकबर देशी था, बाबर विदेशी था । नादिरशाह एक

[श्री कल्पनाथ राय]

विदेशी था, कबीर और जायसी देशी थे। राणा प्रताप की सेना का कमाण्डर एक अफगान मुसलमान था, झांसी की रानी का कमाण्डर-इन-चीफ गुलाम गौस मुसलमान था। बाबर हमलावर था और इब्राहीम लोदी देशी था। देशी और विदेशी के बीच में हमेशा संघर्ष हुआ है। हिन्दुस्तान में कभी हिन्दू और मुसलमान के बीच संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान के इतिहास को इस ढंग से पेश किया गया कि इस मुल्क में हिन्दू और मुसलमान के बीच संघर्ष रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो हिन्दुस्तान के इतिहास को भी उसी कांटेक्स्ट में लिखा जाना चाहिए ताकि देश की नयी पीढ़ी समझ सके कि हिन्दुस्तान में देशी और विदेशी के बीच लड़ाई रही है, हिन्दू और मुसलमान के बीच लड़ाई नहीं हुई।

माननीय उपसभापति महोदय, आज फिरकापरस्ती की बात किस सीमा तक है। अगर पाकिस्तान जीत गया है और हिन्दुस्तान हार गया है, तो अपने को हिन्दुस्तानी कहने वाले बहुत से लोग खुश हो जाते हैं। उनको हिन्दुस्तान की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर खुशी होती है, हिन्दुस्तान की जीत पर खुशी नहीं होती। इस तरह के लोग जब राष्ट्र की धारा में जहर बन कर पड़े हैं, तो जरूरी है कि ईमानदारी और सच्चाई से हिन्दुस्तान के इतिहास को रीराइट करना चाहिए, हिन्दुस्तान के इतिहास को ऐसे ढंग से लिखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में भी लड़ाई हिन्दू और मुसलमान के बीच नहीं थी बल्कि यह देशी और विदेशी के बीच थी। टीपू से बड़ा राष्ट्रवादी और जफर से बड़ा राष्ट्रवादी हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। जब अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के अन्तिम बादशाह जफर को दिल्ली में गिरफ्तार किया तो अंग्रेजों के कमांडर-इन-चीफ ने कहा :--

"हम दमों में दम नहीं खैर मांगी जान की,
ए जफर अब हो चुकी शमशीर हिन्दुस्तान की"

जफर ने जबाब दिया--नहीं--

"गाजियों में बू रहेगी जब तक हिन्दुस्तान की,
तब तलक तेग लन्दन तक चलेगी हिन्दुस्तान की।"

जब तक हिन्दुस्तानियों में ईमानदारी और हिम्मत रहेगी लन्दन तक उनकी तेग चलेगी।

इतना ही नहीं, जफर पराजित हुआ जंग के मैदान में, अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया, उसने पीने को पानी मांगा तो अंग्रेजों ने उसके चार बेटों को काट कर उसके सामने रख दिया, तुम अपने बेटों का खून पिया, उनका मांस खाओ। उन्होंने जफर को हिन्दुस्तान के जेल में भी नही रहने दिया, मांडले के जेल में नजरबंद किया। जब वह मरने लगा तो उसने वाइसराय को चिट्ठी लिखी, मैं मरने वाला हूं, मेरी एक अन्तिम इच्छा है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दिल्ली में दफनाया जाय क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ था। वाइसराय ने उसकी इस बिनती को भी ठुकरा दिया, कहा तुम्हारे जैसे गद्दार को नहीं परमीशन देंगे।

जफर ने लिखा-

"लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
किसकी बनी है आलमे नापाए दार में।
कितना है बदनसीब जफर दफ्न के लिए,
दो गज जमीन भी न मिली कूए यार में।"

उसने मरते समय सारे हिन्दुस्तानियों को सन्देश दिया कि सारे हिन्दुस्तानी एक रहेंगे तो कोई गुलाम नहीं बना सकेगा, हम एक नहीं हैं, अनेक हैं, इसीलिए मुट्ठी भर अंग्रेज हिन्दुस्तान की जनता की छाती पर बैठे हुए हैं। जफर का अन्तिम सन्देश यह था। नाना फडनवीस, रानी लक्ष्मीबाई, जफर, टीपू सारे हिन्दुस्तान के राष्ट्रवादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 1857 और 1947 के बीच के 90 वर्षों में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान के हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग-अलग खड़ा कर दिया, हिन्दुस्तान का बंटवारा करा दिया, हिन्दुस्तान

और पाकिस्तान के नाम पर लाखों परिवार उजड़ गए, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन गया। बंगला देश की जंग, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तीन-तीन बार जंग में करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे विकासशील देश को बनाने के लिए जो राष्ट्रीय मतैक्य, नेशनल कान्शेन्शस, जो राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, जो लोकतंत्र और समाजवाद की भावनाएं चाहिए, जिन आदर्शों को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, मैं अपने दल और विरोधी दलों के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उन आदर्शों के अनुसार हम आचरण कर रहे हैं। जो कराची कांग्रेस के प्रस्ताव थे, जो आवडी कांग्रेस के प्रस्ताव थे, जो आजादी की लड़ाई के आदर्श थे क्या हमारा व्यवहार उनके अनुरूप है? 1885 से लेकर कांग्रेस के प्रस्तावों को सभी राष्ट्र के नेताओं ने पास किया। उस समय सारा राष्ट्र एक था। 1885 से लेकर 1947 तक का जो काल रहा भारत की आजादी की लड़ाई का काल रहा। उसमें जो प्रस्ताव पास किए गए वे राष्ट्र के दुबारा पास किए गए प्रस्ताव थे। क्या हम उन आजादी की लड़ाई के आदर्शों के प्रति वफादार हैं, चाहे हम सरकारी दल के हों या आप लोग जो अपने को विरोधी दल का कहते हों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत बार-बार विदेशी हमलावर के सामने पराजित हुआ, भारत की जनता उदासीन थी। और जो हमलावर थे जंगबाज थे। वे मुट्ठी भर थे लेकिन कांसेस थे और जनता उदासीन थी। इसी नजरिये को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की नींव डाली थी और कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद जब भारत आजाद होगा तो हिन्दुस्तान में लोकशाही होगी। जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार होगी। और उस में मुट्ठी भर लोग हिन्दुस्तान के मालिक नहीं होंगे क्योंकि जब मुट्ठी भर लोग हिन्दुस्तान के मालिक थे तो बार-बार विदेशी हमलावरों ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और इसे जीत लिया। जब हिन्दुस्तान के राज-काज में जनता की हिस्सेदारी होगी तो भारत की जनता को कभी विदेशी हमलावर पराजित नहीं कर सकते। यही कारण है कि 1947 के बाद 1986 तक मुल्क में लोकतंत्र कायम रहा है और जब जब यहां विदेशी हमले हुए उस समय सारा राष्ट्र एक हो कर खड़ा हो गया और विदेशी पराजित हुए हैं। यह लोकतंत्र के कारण ही संभव हो सका है हुक्मदेव नारायण जी। 1947 के पहले बार-बार विदेशी हमलावरों को हमने बुरी बार-बार विदेशी हामलावरो को हम ने बुरी तरह से पराजित किया क्योंकि जनता की हिस्सेदारी यहां के राजकाज में हुई। हिन्दुस्तान की 70 करोड़ जनता वोट के माध्यम से आज बराबर है चाहे हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री हो या के. के. बिरला हो या हमारे गांव का कोई हरिजन हो, वोट के मामले में सभी बराबर हैं। और किसी राजा को भी अगर पार्लियामेंट का मेम्बर बनना हो तो उसको जनता के सामने जाना पड़ेगा वोट के लिये। तो हिन्दुस्तान में लोकशाही मजबूत हुई है, यहां जनतंत्र मजबूत हुआ है, भारत की जनता मजबूत हुई है और मजबूत जनता होने के नाते ही विदेशी हमलावर हिन्दुस्तान के सामने नाकामयाब रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और यही हमारी आजादी की लड़ाई का उद्देश्य था। **(व्यवधान)** केवल बिहार ही हिन्दुस्तान नहीं है। अगर बिहार में वोट कैप्चरिंग की बात करते हो तो बिहार ही हिन्दुस्तान नहीं है। कन्या कुमारी से काश्मीर तक और गुजरात से नागालैंड तक सारा हिन्दुस्तान है उसमें केवल बिहार ही नहीं है। बिहार में अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उस को दुरूस्त करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में ही केवल चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र में यह है। और कहीं नहीं है। आप तो हिन्दुस्तान के लोक दल के नेता हैं। **(व्यवधान)**

SHRI K. MOHANAN (Kerala): In Kerala, your party has aligned itself with communal and class forces. Do you know? You are indulging in tall talk.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जब कहा गया था कि जाइये भैंस चराइये. . . . . **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : इसकी अगर आप बात करते हैं तो हिन्दुस्तान के

[श्री कल्पनाथ राय]

अखबार इस बात के गवाह हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री होते हुए भी चुनाव के मैदान में हारीं लेकिन प्रधान मंत्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह के 149 बूथों पर बूथ कैपचरिंग हुई। चुनाव कमीशन इस का गवाह है। यह चुनाव कमीशन कह रहा है, मैं ही नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) जहां राजनीतिक और राष्ट्रीय सवालों पर बहस हो रही हो वहां व्यक्तिगत बातें आप ने उठा दीं। अभी जाति की बात कही गयी। मैं भारत की नेता और विश्व की महान नेता और भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत की करोड़ों करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हिन्दुस्तान के संविधान में ये शब्द लिखे:

"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist Secular Democracy Republic and to secure to all its citizens; Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship;

Equality of status and of opportunity; and to promote among them all

Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation."

हुक्मदेव जी कम से कम एक बार तो इन्दिरा जी को आप को धन्यवाद देना चाहिए कि भारत के संविधान में उन्होंने लिखवाया कि इंडिया विल बी ए सोशलिस्ट स्टेट, इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट। यह इंदिरा गांधी को धन्यवाद देने की बात है।

(व्यवधान)

आदरणीय उपसभापति महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। समाजवाद के प्रेरणा स्रोत थे। आजादी की लड़ाई के दौरान में समाजवाद की उन्होंने वकालत की। लेकिन भारत के संविधान, जिसकी कसम आप खाते हैं, जनता सरकार ने जिसकी कसम खाई, यह तो इंदिरा गांधी ने किया। इस बात को तो आप ईमानदारी से मान लो। सैक्यूलरिज्म की बात इंदिरा गांधी ने उसमें सम्मिलित की। इसको तो सारे लोग मानते हैं, यह तो राष्ट्रीय मतैक्य है। इससे हम वचनबद्ध हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इसका किसने विरोध किया है?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद की दशा में पहला कदम था। राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त करने का काम दूसरा समाजवादी कदम था जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। करोड़ों करोड़ सर्वहारा लोगों को, बिना घर वालों को जमीन और भूमिहीनों को भूमि देने का काम श्रीमती गांधी ने किया। हिन्दुस्तान के 3000 साल के इतिहास में भारत के करोड़ों करोड़ लोगों को भारत की दौलत में हिस्सेदार बनाने के सिद्धान्त को इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया।

एक माननीय सदस्य : बस हो गया? आ गया समाजवाद? ... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : मैं कहता हूं कि जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी हुक्मदेव नारायण जी उसके नेता हैं, उसने कौन से कदम उठाए थे? इंदिरा गांधी ने जो कुछ अच्छे काम किए तुमने उसका उल्टा किया। तुमने भूमि सुधार के लिए क्या किया? एक काम भी किया तो बता दो। ... (व्यवधान)

आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की करोड़ों करोड़ सर्वहारा जिसकी बात मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी वाले करते हैं, जिसकी बात हमारे मित्र कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के तीन हजार साल के इतिहास में किसी हुक्मरान ने देश की दौलत में उसको हिस्सेदार बनाने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया था। यह केवल इंदिरा गांधी थी जिन्होंने करोड़ों करोड़ों सर्वहारा के हिस्सेदारी की बात स्वीकार की थी। जो सच्चा हिन्दुस्तानी होगा वह इसको स्वीकार करेगा, जो अंधे

होंगे वह स्वीकार नहीं करेंगे । .. (व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : नेहरू जी और गांधी जी प्रतिक्रियावादी थे, पूंजीवादी थे ? . . . (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : मैंने कहा कि गांधी जी बीज थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बीज के पेड़ थे और इंदिरा गांधी फल थी । उस बीज से प्रस्फुटित पेड़ जवाहरलाल नेहरू थे, उस पेड़ से फल इंदिरा गांधी जी जिसने राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया । जो आजादी की लड़ाई का हमारा उद्देश था, जो हमने लागू किया, जो भविष्य में हिन्दुस्तान को शक्तिशाली बनाने का जो सपना है, उसको चरितार्थ करने के लिए जो राजीव गांधी ने संकल्प किया है, उसको हमें पूरा करना है । आदरणीय हुक्मदेव नारायण जी आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान को आज चारों तरफ से अमरीकी साम्राज्यवादियों ने घेरने की कोशिश की है ? आप को आज मालूम है कि एटामिक हवाई अड्डे उसने बनाए हैं, अपने यहां से छठवें बेड़े से वह साम्राज्यवादी आज लीबिया पर हमला कर चुका है ? हिन्दुस्तान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहा है । जो देश भक्त हैं, वह इस चीज को जानते हैं । लेकिन आज जो हिन्दुस्तान को दक्षिण पंथी, वाम पंथी के नाम पर बांटकर डिस्टेबिलाइज करने की बात कर रहे हैं, उनका मुकाबला करके हमें हिन्दुस्तान को मजबूत करना होगा । राष्ट्र की सेवा कीजिए और जो डिस्टेबिलाइजेशन की फोर्सेज है उनकी मजबूती मत कीजिए । आप को दुनिया को यह बताना है कि सारी दुनिया आज साम्राज्यवाद के खिलाफ है । पूरा राष्ट्र विश्व शान्ति और विश्व निशस्त्रीकरण के समर्थन में है यह जानना चाहिए दुनिया को । यह नेशनल पर्सपेक्टिव में है, नेशनल प्रायोरिटीज में है । इस सवाल पर सभी दलों का एक राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए ।

जाति की बात की गई । मैं फिर हिन्दुस्तान और विश्व की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को आज बधाई देना चाहता हूं । हिन्दुस्तान की पहली नेता हैं जिन्होंने 1942 में ही जाति प्रथा के बन्धन को तोड़ कर एक पारसी से शादी की ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : गांधी जी ने उससे पहले की थी । इतिहास साक्षी है ।

श्री कल्पनाथ राय : सुन लीजिए । देखा-देखी पाप, देखा-देखी पुण्य । हिन्दुस्तान में जाति तोड़ने की बात किस राष्ट्रीय नेता ने पहले की ? किस राष्ट्रीय नेता ने सबसे पहले बदनामी सहने की क्षमता मोल ली ? किस राष्ट्रीय नेता ने यह कदम उठाया ? अगर किसी नेता को श्रेय जाता है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है । इनके दोनों बेटों ने गैर जाति में शादी की । क्या आपके दल में किसी एक ने भी ऐसा किया मैं पूछना चाहता हूं ? "मीठा-मीठा गप्प और कड़ुवा-कड़वा थू" । 'पर उपदेश सकल बहुतेरे' । जातियां टूट रही हैं । आपको दिखाई नहीं दे रहा है जातियां टूट रही हैं । इस साइंस एंड टेक्नोलोजी के युग में जातियां टूटेंगी, सम्प्रदाय टूटेंगे । लेकिन इस में भी पहल किया है श्रीमती इन्दिरा गांधी ने । लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं । अगर हम कानून बना दें कि जो जाति लिखेगा, जाति भेद करेगा उसके हम खिलाफ कारवाई करेंगे लेकिन उस वक्त आपने नसबन्दी प्रोपेगेन्डे का फायदा उठाया और अगर हम इस बारे में कानून बना भी दें तो कल आप हमें साफ कर देंगे । हम को तो जनता को अपने साथ रख कर सम्प्रदाय को खत्म करना है, जाति-प्रथा को खत्म करना है । सेक्युलरिज्म की बात की गई । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है यादव जी कि जहां माइनोरिटी की इज्जत है । जितनी इज्जत माइनोरिटी को यहां हिन्दुस्तान में है उतनी इज्जत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है । क्या पाकिस्तान में हिन्दुओं की कोई इज्जत है ? आपके श्रीलंका में तमिलियनों की कोई इज्जत है ? क्या चीन में माइनोरिटी की कोई इज्जत है ? क्या रूस में माइनोरिटी की कोई इज्जत है ? (व्यवधान)

श्री नेपालदेव भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल): यह कहां सुना आपने ? यह आपने कहां पढ़ा जरा हमें बताइये ।

श्री कल्पनाथ राय : चाइना में करोड़ों करोड़ मुसलमान हैं। 1948 से लेकर 1986 तक के बीच में आज तक एक भी मुसलमान वहां के प्रेसीडियम का न मेम्बर रहा, न पॉलिटब्यूरो का मेम्बर रहा, न वहां का प्रेजीडेंट रहा, न जनरल सेक्रेटरी रहा ... (**व्यवधान**)

श्री नेपालदेव भट्टाचार्य : प्रेजीडेंट होने से क्या हो जायेगा ?

SHRI K. MOHANAN: Send a petition. They will consider it.

SHRI KALPNATH RAI: I am telling you the facts.

चाइना में 1948 से आज तक किसी माइनोरिटी को कोई रिसपेक्टीबिलीटी नहीं दी गई। अब रूस की बात करिये। रूस ने भी किसी मुसलमान को कोई रिसपेक्टीबिलिटी नहीं दी। लेकिन सर्वहारा या क्रान्ति का नारा लगाने वाले रूसी क्रान्तिकारी हकूमत ने भी किसी माईनोरिटी को कोई रिसपेक्टीबिलिटी नहीं दी है। (**व्यवधान**) न प्रेसीडियम में, न पॉलिटब्यूरो में कोई मम्बर बनाया, न प्रेजीडेंट बनाया और न कुछ और। आप उनकी बात करते हैं... (**व्यवधान**) अमेरिका की बात लीजिए। आज दुनिया में जनतंत्र का बड़ा भारी नेता बनता है। वहां किसी हब्सी को, किसी ब्लैक को कोई काम दिया है ? अफ्रीका की बात लीजिए उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कहीं माइनोरिटी को रिसपेक्टीबिलिटी है तो वह है हिन्दुस्तान में। अगर कोई बता देगा कि दुनिया के किसी और देश में ऐसा है तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद, सरहद गांधी, और जवाहरलाल नेहरू, चन्द्रशेखर आजाद और असफाक खां, इंदिरा गांधी और फखरूद्दीन अली आते हैं, जिन्होंने भाग लिया था। हमने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। हमने सारे वतन को एक माना। सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। हमने जातियों को तोड़ कर ही हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमने निर्णय लिया कि हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, गिरिजन, ब्राह्मण, ठाकुर सब मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और हमने एक होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे देश का बटवारा हुआ, लेकिन हमने अपने देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखा। श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में सात-सात चीफ मिनिस्टर्स माइनोरिटीज के थे। चीफ जस्टिस आफ इंडिया माइनोरिटी का था, कमान्डर इन चीफ माइनोरिटी के थे। उन्होंने इस देश की भावनाओं को एक्शन के रूप में ट्रांसलेट किया। हमारे सी.पी.एम. के क्रांतिकारी भाई चाहे कितनी भी बातें करें, वे माइनोरिटीज को कोई पद नहीं दे सकते हैं। इसलिए वे कभी भी हिन्दुस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं। टेम्परेरी तौर पर वे कुछ भी बन जायें, लेकिन हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री आदिनारायण रेड्डी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है उस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

हमारे देश की आजादी की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए हमें लोकतंत्र और लोकशाही के माध्यम से इस जाति प्रथा को समाप्त करना चाहिए। हमें यह परिवर्तन लोकतंत्र के आधार पर करना चाहिए। जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए परिवर्तन करना चाहिए। जनता की राय के खिलाफ हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं। हमें इसके लिए लोगों में मतैक्य की भावना लानी चाहिए। कानून बना देने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सैकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के आधार पर ही इस देश में कोई परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हम इस देश में सैकुलरिज्म, सोशलिज्म और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो जाति तथा अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में समाजवादी ताकतों को मजबूत किया जाये। अगर हम समाजवादी सिद्धान्तों को इस धरती पर उतार देंगे, इस धरती पर समाजवाद की स्थापना कर देंगे तो जाति प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस में समाजवादी ताकतें हैं और साथ-साथ समाजवाद विरोधी ताकतें भी हैं। कांग्रेस को समाजवादी ताकतों को मजबूत करना है। जब तक हमें आर्थिक आजादी

हासिल नहीं होगी तब तक हमारे देश में समाजवाद नहीं आ सकता है। मथुरा में कल ही श्री राजीव गांधी जी ने कहा कि जब तक हमें आर्थिक आजादी नही मिलती है तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नही हो सकता है। वे आज हमारे देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें मिलजुल कर राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर इस देश को लोक-तंत्र और समाजवाद के रास्ते पर ले जाना है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान एक विकासशील देश है। हमारी आजादी का मुख्य उद्देश्य दुनिया में विश्व शांति कायम करना और गरीबी मिटाना है। आज सवाल इस बात का है कि इस दुनिया से गरीबी कैसे समाप्त की जाये? आज हमारे सामने सवाल निःशस्त्रीकरण का है। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान की आजादी केवल हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं है, बल्कि विश्व मानव को हमें आजाद करना होगा। उसकी गरीबी को हमें मिटाना होगा।

[उपसभाध्यक्ष (श्री आर. रामाकृष्णन्) पीठासीन हुए]

हमने सदैव दुनिया में विश्व शांति के लिए आवाज उठाई है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने दुनिया में जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने अंगोला में जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने वियतनाम में जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के लिए आवाज उठाई। हमने बैंडुंग में सबसे पहले दुनिया के पांच देशों का सम्मेलन बुलाया और आज उसी संगठन में सौ से भी अधिक देश हो गये हैं। दुनिया के सौ देश नान-अलाइंड मूवमेन्ट में हैं और बिना किसी की परवाह किये हम यह भी कहते हैं कि रूस अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से हटा ले। हम यह भी कहते हैं कि फिलिस्तीन को स्वाधीनता दो। हम यह भी कहते हैं कि लीबिया पर हमला मत करो। दुनिया में जितने भी जुल्म होते हैं उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो वह हिन्दुस्तान उठाता है। लीबिया एक मुस्लिम देश है लेकिन उसके लिये हिन्दुस्तान ने ही सबसे पहले आवाज उठाई, किसी अरब देश ने नही उठाई। आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, दुनिया में जहां भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई हिन्दुस्तान ने उस आजादी की लड़ाई का समर्थन किया। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई, नेहरू जी के नेतृत्व में लड़ी गई। आज भी हम विश्व विकास और विश्व शांति के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम विश्व में शान्ति चाहते हैं और विश्व से गरीबी मिटाना चाहते हैं। विश्व की गरीबी तभी मिटेगी जब जो अरबों-खरबों रुपये की दौलत महाशक्तियों की हथियारों पर खर्च हो रही है वह दौलत विकास पर खर्च हो तभी दुनिया से गरीबी मिटेगी और दुनिया में शांति होगी और दुनिया में विकास होगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में समाजवाद की स्थापना के लिये जरूरी है कि दुनिया में शांति हो क्योंकि जब तक दुनिया में शांति नही होगी तब तक हम समाजवाद की दिशा में ठीक से नहीं बढ़ सकते। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ जो श्री आदिनारायण रेड्डी ने प्रस्ताव रखा है कि जाति, धर्म और साम्प्रदायिक नाम मिटाये जायें तो हम तो आजादी की लड़ाई के जमाने से ही इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 38 सालों से जाति व्यवस्था के खिलाफ, साम्प्रदायिकता के खिलाफ लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारा यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक जाति और सम्प्रदाय जैसी चीजें जो आज देश में कलंक के रूप में हैं वे नहीं मिट जाती हैं। यह हमारा आजादी की लड़ाई का उद्देश्य है। मैं सभी दलों से अपील करूंगा कि जो हमारी आजादी की लड़ाई का उद्देश्य रहा है कि हम देश से साम्प्रदायवाद को खत्म करेंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे, संकीर्णतावाद को खत्म करेंगे, उस राष्ट्रीय उद्देश्य को हासिल करने के लिये देश के सभी राजनैतिक दल हमें सहयोग दें। उनसे मेरी अंत में प्रार्थना है कि विकासशील देश भारत में टकराव की राजनीति को छोड़कर राष्ट्रीय मतैक्य की राजनीति को अपनाकर देश की प्रगति में योग-

[श्री कल्पनाथ राय]

दान दें ताकि देश की आजादी की लड़ाई में हमने देश के जिन सुनहरे सपनों की कल्पना की थी उसका हम देश में निर्माण कर सकें ताकि आने वाली पीढ़ी, अपनी भावी संतान सुखी रह सके और अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाकर इक्कीसवी शताब्दी में ले जा सके। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Thank you very much. Mr. Valampuri John.

SHRI VALAMPURI JOHN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, Mr. Adinarayana Reddy richly deserves our congratulations for bringing this particular Bill. the Abolition of Caste and Religious Titles from Names Bill, 1983.

Though he has brought this Bill, I would like to say that this particular Bill is a positive exercise but this is not a penacea for the ills the Indian society is having today. This Bill is over-ambitious. It is like prescribing Anacine for a deadly cancer.

In the Indian society for centuries together, we know for certain that there have been castes. This is a reality. From this reality we have to travel farther, far beyond, to another position, a totally diametrically opposit position from the reality we have, a position that there should not be castes, there should not be discrimination on the basis of castes. So, there are castes, which is a reality: there should not be castes, which is an ideal. So, the Indian society today is travelling from the reality to the ideal, to the idealism. So, while we are living with castes, communities, religions and with all the differences and with all the exploitations, we cannot simply ignore the fact that by just trying to remove the caste names from the registers of schools and the Employment Exchanges, we cannot find a solution, a permanent solution to the problems of caste. I would like to quote from Pt. Jawaharlal Nehru in his address to the Congress Parliamentary Party on December 2, 1454 had stated.

"We talk about casteism and we condemn it as we should. But the fact remains that half a dozen or may be 10, so-called superior castes dominate the Indian scene among the Hindus. There is not doubt about it. And if I talk about the removal of casteism don't understand by that that I wan to prepetuate the present classification, some people at the top and other people at the bottom. If we don't equalise or tend to equalise, undoubtedly casteism will flourish in a most dangerous way."

So, Pandit Nehru himself said when we talk about casteism and we condemn it as we should, yet the fact remains that half a dozen or may be ten so-called superior castes dominate the scene in this country. So, it is a reality that we are living with different castes among castes in our community. So, it goes to prove that we can never have equality among the unequals. When we are unequals, we cannot have equality at all. That is why the reservations came. Tamil Nadu was a forerunner. Periyar E. V. Ramaswamy, a great father of the Dravidan movement, was principally and primarily responsible for so many reforms. So, when we say particularly there is a reality that we are living with castes, we should not brush aside his kind of a reality. We cannot close our eyes to this reality. We cannot paint a rosy picture as Shri Kalpnath was painting that casteism and communalism will go. These are all expectations. This is an ideal way we have to reach. But Indian hard reality is totally different. I still remember how far we struggled, how we met with difficulties when we demanded a stamp to perpetuate the memory of E. V. Ramaswamy, the greatest social reformer after Buddha. I do not blame the Communications Minister, I do not blame the Government, I dont say that they yielded to pressures, but ultimately we succeeded in convincing the Government that Periyar Ramaswamy who was the great father of the Dravidan Movement and the greatest social reformer after Buddha the country has produced, richly deserved a stamp. But when we were demanding for a stamp,

the upper caste people built up pressure on the Governmnt against this. First they said he was not a nationalist. It is essentially a fact that he was a great friend of Mahatma Gandhi and his perticipation in the freedom struggle can never be minimised by any reasonably sensible Indian. Again they said he was anti-God, he was an agnostic, he was an atheist, he was anti-religion, he was anti-establishment and finally they said he was anti-Brahmin. Memoranda were sent and there were signature campaigns. Now, I would like you to listen to all this and be alive to the Indian way of life, not for a Harijan, not for an untouchable, not for a member of the backward communities, but for a leader who has made us what we are today. For a stamp to perpetuate the memory of the greatest leader, Periyar E.V. Ramasamy we had to have a vast struggle in this country. Since we struggled for it, we carry on this wound and that is the only wound that we transport and transmit to the coming generation.

I was hearing Mr. Yadav. Mr. Yadav is a limping soldier. His is a wounded soul. The ferocity with which he was forming his sentences. I could understand how from a backward class he speaks bringing out all the agony the very backward community is undergoing in his State, Bihar.

Here I would like to relate an incident of a Cobbler in my State. One Cobbler visited a State Bank of India branch in Madras. We make tall claims that we have made provision for specified and notified classes, for economically weaker sections of society to give them economic and financial assistance, but the reality is reflected in this case. The Cobbler was not only denied the application form, but he was not even allowed to enter the premises of the bank because he was an untouchable. This is a hard reality of India. What has recently happened in the Railways proves that we are living with the reality of castes. Unless and unitil we accept this caste will not go; unless and until you accept there is a cancer, you will not be able to cure the cancer. First you accept there is a cancer, then only you can find ways and means to cure it. But if you say cancer is not there and you paint only a rosy picture, you are doing nothing but duping the whole popuface. I would like to say the Southern Railway Administration without the concurrence and knowledge of the Railway Board amended maliciously a circular.

4.00 P.M. Why do they do it? So far there was a provision in the Railway Ministry that Khalasi should be appointed without any kind of basic educational qualification. It was enough if he was literate; and the rules that clarify literacy were that he should be able to read a few simple sentences and write only a few sentences in his native mother-tongue. This has been the explanation given by the rules of the Railways. But now what they have done is that even for a Khalasi job, he should have an I.T.I. certificate. Why this has come? I can say that this is a connivance. This is a kind of treachary of the upper classes in the Railways, because they would like to have their men who are well-qualified. They are bringing this kind of a moral blow on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the backward classes. Sir, without the knowledge and concurrence of the Railway Board this type of order is being amended and a new section, number six, has been added in the recent communication from the Southern Railway administration. I can quote a number of examples that caste is a reality here. Even the great Acharyas in my State when they say that they are revolutionising the whole system of temple entry is not correct. They say it is not only Periar Ramaswamy, but we Acharyas also allow harijans. But people belonging to lower classes know what they are doing. It is all their tall talk of allowing Harijans into the temple. And it is all their all talk of revolution and reformation. Do you know what the Acharyas themselves do? They allow the harijans and the low caste people only to their temples where they can go and not the temples to which the upper class go. When we ask them. Why don't you go to the small temples they have in their villages where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people live? Why don't you set an example? These Acharyas tell us that those temples have not been constructed according to the sanctions of "Agamas". So even today "Agamas" stand

[Shri Valampuri John]

in the way. Even today "Varnashrama Dharma" stand in the way. When there is a brahmin and a non-brahmin you have to be alive to the reality. There is enough discrimination in all the formus of this coentry. But you simply say that there is no such discrimination. But we carry this wound. We carry this stigma. It is this wound and stigma which we are transferring and transporting to the generations to come. Here it is not out of place to remember and I quote Periar Ramaswamy who has said:

"1. The Sudras were denied education because of Varnashrama Dharma. Even at present 75 to 85 per cent of them remain illiterate. The condition of the untouchables is still worse. So these sections require reservation in education for a long time.

2. Caste is the direct echo of Varnashrama-Dharma. Varnashrama Dharma or caste system has not been abolished in the Hindu Law and that is given protection in the Constitction. Neither the upper caste nor the backward caste members have forsaken sub-caste at the time of contracting marriage. Even among Indian Christians, Buddhists and Sikhs caste is being practiced. Among Indian Muslims also it has its impact in some other shape.

Thus caste is a reality in India.

3. Caste based reservation is like tariff in a developing economy. In order to prevent competition of highly efficient industrial countries, we levy tariff on foreign goods and save our own nascent industries. Likewise the backwards require to be protected by special concessions like reservation, scholarship and relaxation in marks and age.

4. The Backward Classes had remained manual labourers and they had been put at a disadvantageous position all along. The injustice heaped upon them is to be removed at least at this stage."

So caste is a reality in this country. If we were to remove caste system ultimately then we would have to live and see the reality for centuries together. The essential and fundamental fact remains that you can never equate among unequals. This is what Pandit Jawaharlal Nehru has said. You can never have equality among the unequals. Now if you make them equals then speak about the equality. But in this country, I find there is a total revolution. Even Dr. Ram Manohar Lohia in his article "Swaraj" has accepted the views of Periar E. V. Ramaswamy Naicker. There is so much of increased percentage of reservation for backward classes in the South. But in States like U.P. and Bihar we find there is not any increase in reservations as compared to the Southern States. So, this is the reality of the situation but when Mr. Kalpnath Rai says that you are painting a rosy picture and that colonialism will go and in a caste-ridden society, this decadent society will ultimately find its end. I do agree with him, not wholly but partly, and I am reminded of the fact that despite all these realities, casteism is on the way out. Now for examp'e, I go to my village. 20 years earlier, an older man could ask directly what caste you belong to. But after 20 years, I find today, he may not be able to ask me what caste I belong? But instead of this, he must find out my caste. So, what he asked me, from which village you come from? From the village he trick to fix my caste. But in the village, there are hundreds of communities, 100 castes and sub-castes. Then he asks, what is the name of your father? From the father's name, he thinks, he will be able to understand my caste, fix my caste down. Again my father's name is a very common name. So, he is not able to understand whether I am Mudaliar or Chettiar; to which of the backward classes I belong to. Finally, the crooked man with a ticklish brain puts me another question, Are you a man related to that gentleman Becacse that gentleman's caste is known to him. So, in a way, Mr. Kalpnath Rai was right. Today, people who belong to the older generation, they are not able to ask you directly, what caste you belong to. So, n the last 20 years, there has been some kind of refor-

mation, some kind of positive change in the society that they are not able to ask what caste you belong to because now they think, it is uncivilised, uncultured way to ask for the caste of any particular gentleman. But this does not go to prove the conclusion that casteism has gone, because casteism is here in this country for centuries together. So, this institution which has been there for the last 2,000 to 3,000 years cannot go, cannot be wiped out in a very momentary way. But I would like to refer to Tamil Nadu here because there is a total relevance of this when Mr. Adinarayana Reddy has brought this Bill. When he says that the caste names from the registers of the schools, from the register of employment exchanges be removed, I would like to refer to Shri M. G. Ramachandran, the Chief Minister of Tamil Nadu. He was the first in the whole country, as a Chief Minister, who has taken a very positive step in removing the caste names from the sign-boards, from the road names. He has removed it. There was a lot of criticism but he has done it. Even then, I would like to say that these are small steps, good exercises. They can be appreciated but to a limited extent, Casteism, in India cannot go and will not go unless and until we accept the reality.

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल का समर्थन करने का मौका दिया है । हमारे दोस्त श्री आदिनारायण रेड्डी जो यह बिल लाये हैं, उसके उद्देश्य और कारण यह है—

हमारे देश में साम्प्रदायिक, समाज विरोधी और फूट डालने वाली ताकतें अपना सर उठा रही हैं और जाति तथा धर्म संबंधी भावनाओं को भड़का कर देश में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रही हैं । देश के विभिन्न भागों में बार-बार साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं । इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक, धर्म-निरपेक्ष और राष्ट्रीय स्वरूप कमजोर होता जा रहा है । हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य केवल जाति-रहित और वर्ग-रहित समाज की स्थापना करके ही प्राप्त किया जा सकता है । आज हो यह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न सरकारी विभागों, शिक्षा संस्थाओं, लोक सेवा संघों, रोजगार कार्यालयों आदि द्वारा विहित प्रपत्रों में अपनी जाति या धर्म बताना पड़ता है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहू) पीठासीन हुए]

स्पष्टत: यह हमारे मनोवांछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है । अत: यह आवश्यक है कि ऐसे किसी भी प्रपत्र या अन्य प्रलेखों में जाति और धर्म का उल्लेख करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए ।

यह विधेयक, उक्त प्रयोजन को पूरा करने के लिए लाया गया है । मुझे इस चीज का गर्व है कि हमारे दोस्त श्री आदि-नारायण रेड्डी जिस परम्परा में आगे आये हैं, कांग्रेस की हमेशा यह परम्परा रही है कि निधर्मी राज्य व्यवस्था—हमारी लोक-शाही का, हमारे जनतंत्र का आधार है निधर्मी लोकशाही पद्धति और उस लिहाज से उन्होंने अपनी उस वैचारिक बैठक से यह जो बिल हमारे सदन में पेश किया है, इसमें हमारे कांग्रेस के लोगों के विचारों की धारा कितनी प्रागतिक है, इसका मुझे बड़ा गर्व है और मैं चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, यह बहुत ही सोच-समझ कर लाया गया है ।

हमारे देश में आजकल जो चल रहा है, यह कोई आजकल नहीं चल रहा है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है । हमारे हिन्दुस्तान का इतिहास है, जैसे कल्पनाथ राय जी ने बताया एक अपमानित इतिहास है, जो तारीख है वह कोई बहुत अच्छे कारनामों से भरी हुई तारीख नहीं है, यह कोई देश के गौरव का इतिहास नहीं है, हमारा यह अपमानित इतिहास दो हजार वर्षों से चल रहा है । सम्राट अशोक के बाद हमारे देश पर जितने आक्रमण हुए उनमें हिन्दु-स्तान की पराजय हुई, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं थे, हम अलग-अलग जातियों में बिखरे हुए थे । हर राज्य में अलग-अलग जातियां थी, अलग-अलग धर्म थे और इसलिए हम कभी इकट्ठे नहीं हो पाये । हमारे हिन्दु-स्तान में सिर्फ दो ही व्यक्ति हुए जिससे हमारा सिर उभरकर आता है, दो महान व्यक्ति हैं छत्रपति शिवाजी और महाराणा

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव]

प्रताप जिन्होंने हमारे देश में ऐसा एक संदेश दिया था, जिस वक्त लोगों की समझने की ताकत नहीं थी कि हिन्द भी स्वराज्य है। हिन्दुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिन्दुस्तानी है, भारतीय है और हमारा धर्म भारतीय है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोई भी मजहब किसी दूसरे मजहब पर आक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन उस वक्त के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। उस वक्त ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, तो हमारी जो क्रांति थी वह कामयाब नहीं हो सकी। सदियों के बाद यहां अंग्रेज भी आये और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज किया। उनकी राजनीति यह रही कि डिवाइड एंड रूल, हमारे में हर जाति को भड़काकर झगड़े पैदा करने की जो चीज है वह आज भी जारी है। इन झगड़ों को उनकी नीतियों को महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना। कांग्रेस की स्थापना भी उन्होंने इस तरह से की कि स्थानीय लोग जो हैं उनका शैल्टर लें और हमारा राज बहुत दिन तक चलता रहे। मगर उनकी बदकिस्मती से, लेकिन हमारे देश की किस्मती से कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता लाला लाजपत राय, लोक मान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े-बड़े लोग हमारे देश को मिले जिन्होंने हमारे देश की एकता, देश की संस्कृति और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा होना चाहिए उसके बारे में बुनियादी विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने उन तत्वों का उन धार्मिक तत्वों का अवलम्बन किया, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ब्रदर्ज एंड सिस्टर्ज, जब पहली बार शिकागो में उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का मूलभूत आधार है सब भाई हैं, सारे पुरुष जो हैं वे भाई हैं और सारी औरतें जो हैं वे बहनें हैं हमारी, इसमें कोई डिसक्रिमीनेशन नहीं हो सकता, इसमें कोई अलग धर्म नहीं हो सकता। यह हमारा धर्म एक है और यह मानवता का धर्म है। उस मानवता के धर्म की शिक्षा देने की कोशिश महात्मा गांधी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में की। भारत की आजादी को जो शक्ति मिली महात्मा गांधी ने जो 1917-18 के बाद जो हिन्दुस्तान में आन्दोलन छोड़ा और उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आजादी मिली उस समय मैं बहुत छोटा था 10-12 साल का था, गांधी जी ने "हरिजन" साप्ताहिक शुरू किया। इस देश में हरिजन और हिन्दू, हिन्दुओं में जो धार्मिक गुट थे उसके बारे में उसकी विषमता को नष्ट करने के लिए हरिजनों के दुखों का उसमें बयान किया। वह चाहते थे कि मंदिर कोई भी हो, मस्जिद कोई भी हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, वह किसी धर्म की मक्तेदारी नहीं हो सकती। उप सभाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत गर्व है यह कहने के लिए कि महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है कि हमने बहुत पहले 25-30 साल पहले सारे मंदिरों में हरिजनों को खुला कर दिया। अब कोई भी हिन्दू, कोई भी मराठा, कोई भी ब्राह्मण, वहां उसकी कोई भी मक्तेदारी नहीं रखी। मगर फिर भी अभी हमारे जनता पार्टी के एक नेता हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे, यह सुनते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस ने तो सर्वधर्म समभाव की नीति अपनायी है, हमारे संविधान का एक मूलभूत आधार है कि हमारे पास कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म एक है और वह राष्ट्रीय धर्म है, मानवीय धर्म है। यहां कोई हिन्दू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, यहां भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं। यह हमारी कांग्रेस की नीति आज तक रही है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष चाहे जनता पार्टी हो, या बी. जे. पी. हो, इनको पार्टी की उत्पत्ति ही जातिवाद और धर्मवाद से हुई है। इनकी वोटों का नक्शा हम देखें तो कहीं तो कोई ठाकुरों के वोट लेते हैं, कोई ब्राह्मणों के वोट लेते हैं, कोई प्रतिक्रियावादी लोगों के वोट लेते हैं, कोई मुसलमानों के वोट लेते हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए और यह हमें सैकुलरिज्म पढ़ाने के लिए यहां आये हैं। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का। सवाल यह नहीं है कि इनको तो वोट कभी मिलने वाला नहीं है हमारे देश में। एक दफा गलती से, सन् 1977 में हमने प्रागतिक या ठोस कदम उठाया हमारे देश में फैमिली-प्लेनिंग के बारे में और आर्थिक विषमता को नष्ट करने के लिए बीस पाइंट एकानोमिक प्रोग्राम

इंदिरा जी ने देश को दिया ताकि इस देश की 60 फीसदी से ज्यादा लोग जो दरिद्रता रेखा से नीचे थे, उनको उठाने के लिए कोशिश किया । तो उनके दिल में बहुत बड़ा दर्द हुआ और वे चाहते थे कि उनकी साख खतम होने वाली है । कुछ पूंजीपति, अगर हम आज समाचार-पत्र देखते हैं तो कोई छोटी सी बात कांग्रेस की होती है, तो समाचार पत्र उसको इतने बड़े पैमाने पर लिखते हैं, जैसे कांग्रेस सारी खतम होने जा रही है ।। उनको यह मालूम नहीं कि कांग्रेस इतनी पक्की है, गए डेढ़ सौ साल के आंदोलन से, एक सौ साल के आंदोलन से घर-घर में लोगों के दिल में अपना स्थान बना चुकी है । इस लिहाज से हमें अगर देश को इकट्ठा करना है, मजबूत करना है तो जो कमियां हैं, उनको खतम करना होगा । मैं जानता हूं हमारे महाराष्ट्र में भी और अन्य प्रान्तों में भी ऐसे कुछ नाम होते हैं, कुछ धार्मिक नाम होते हैं, जैसे—मराठा महासंघ है, यह नाम है, मराठा महासंघ संस्था का जो नाम है, ऐसी संस्था को सरकार को परवाना नहीं देना चाहिए । इसी प्रकार अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ है, ऐसे भी कुछ नाम होते हैं, जो संस्था चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कालेज चलाते हैं, जो शिक्षा के साथ बच्चों के दीमाग में यह भी विष फैलाते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं कि हमें जाति और धर्म को जिन्दा रखना है . अगर यह जिन्दा रहे तो देश जिन्दा नहीं रहेगा ।

अमरीका आज दुनिया में जो राजनीति खेल रहा है, उसे देख कर बड़ा अजीब लगता है । इधर तो पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के खिलाफ भड़काता है, वहां इस्लाम का प्रचार करता है कि इस्लाम वहां खतरे में है. बोलने के बाद सारे मुसलमान भाई "अल्लाह हो अकबर" कहकर बाहर निकलते हैं और उधर लीबिया, जो कि एक मुसलमान राष्ट्र है, उस पर हमला करता है और इसराइलियों के साथ मिलकर अरबों को परेशान करता है । ये जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, वे चाहते हैं कि दुनिया में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कम्युनिटीज के नाम पर दुनिया में ट्रबल पैदा कर सकें। इस चीज को हमें खतम करना है, यह जो धार्मिक नाम हैं, संस्थाएं हैं, इनके लिए जो हमारे आदिनारायण रेड्डी जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं, ऐसी जो धार्मिक नाम पर संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको एक संविधान संशोधन लाकर खतम करना चाहिए, इसके सिवा आगे कोई चारा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कहते हुए मुझे बड़ा गौरव है कि सन् 1947 से 1986 तक गए 39 साल में हमारे देश में सेकुलर नारा बुलन्द हुआ है । पहले कितनी अन्तर्राजातीय शादी होती थी, ठाकुर देखता था कि यह हमारा सौ प्रतिशत ठाकुर है या नहीं, तभी सगागत करने जाते थे और राजपूत देखता था कि यह सौ प्रतिशत राजपूत है या नहीं और इसी प्रकार साउथ इंडियन देखता था कि सौ प्रतिशत साउथ इंडियन ब्राह्मण है या नहीं, लेकिन आज बंबई में जाइए, पूना में जाइए और बड़े शहरों में जाइए और देखिए । महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन लड़का बंगाली लड़की से शादी करता है और बंगाली लड़का साउथ इंडियन लड़की से शादी करता है । इस प्रकार का माहोल हमारे देश में हम पैदा कर सके हैं और यह सारा क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता है और इसका दुख विपक्ष को है । उनको लगता है कि यह सारा जो उनका अस्तित्व है, वह खतम होने जा रहा है । मगर धार्मिक, जाति-पांति वगैरह का अस्तित्व खत्म करना है क्योंकि अगर इसका अस्तित्व रखेंगे तो देश का अस्तित्व नहीं रहेगा । देश को और तेजी से आगे बढ़ाने में और बड़ा करने के लिए जरूरी है कि ऐसा कर सकें । सेकुलर हमारे देश में तभी होगा, जब सारी जात-पांत हम नष्ट करेंगे और कुछ लोगों के दिमाग में यह केन्सर है, मैं जानता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, पेट में केन्सर हुआ तो आपरेशन करके निकाल सकते हैं, आंखों में केन्सर हुआ तो आपरेशन करके निकाल सकते हैं, मगर दीमाग में केन्सर पैदा हुआ तो मरने के बाद ही जाता है । तो उनके दीमाग में केन्सर यह है कि इन्दिरा गांधी का नाम निकालने के बाद, इंदिरा जी के जाने के बाद डेढ़-दो साल में उनके दीमाग में उच्छृंखल चीज निकलती है । उनको इन्दिरा जी के बारे में इतना द्वेष क्यों ? इन्दिरा जी ने इनके पूंजीपतियों की सारी शक्ति निकाल दी।

[श्री विट्ठलराव माधवराव जाटव]

जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने कहा था कि 14 बैंक जो पूंजीपतियों के हाथ में थे, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया और सारे भारत की जनता के लिए पैसा निकाल दिया। जो दूसरे थे, आजादी मिलने के बाद तनखा पाते थे, घर में बैठे हुए ताश खेलते थे, आपने देखी होगी सत्यजीत राय की "शतरंज के खिलाड़ी", बड़ी अच्छी फिल्म निकाली है, ताश खेलते-खेलते पूरा राज चला गया, फिर भी हाथ से ताश नहीं गए। ऐसे ताश खेलने वाले लोग बिना काम करे दूसरों का एक्सप्लाइटेशन करें, यह हिन्दुस्तान में चलने वाला नहीं है। हमें एक सर्वधर्म समभाव जन्तंत्र बनाना है। उसका नारा महात्मा गांधी ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनिया के ऐसे बुलन्द इन्सान थे जिन्होंने सेक्यूलरिज्म को अपने आचरण में लाया। उनकी पुत्री ने इन्टर रिलीजन मेरेज की, उनके दोनों बच्चों ने इन्टर-रिलीजन मैरेज की है। देश में सेक्यूलरिज्म लाने का यह बहुत बड़ा सिम्बल है। यह भारत का बहुत बड़ा भूषण है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, मानवता हमारा धर्म है, सत्य अहिंसा परम धर्म है। हम कितना भी भूलने की कोशिश करें, जब तक हम इस पर आचरण नहीं करेंगे, हम अच्छी तरह से जिन्दगी नहीं गुजार सकेंगे। हमारे देश में 40 परसेंट से ज्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं, नई पीढ़ी, नई जैनरेशन पूछती है कि आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता क्यों है। मैं कहूंगा कि ऐसा बिल लाया जाय जिससे सारे रिलीजियस नाम हटाए जायं। ऐसा कानून लाया जाय जिससे इस देश में यूनिफार्म सिविल कोड रहे, आर्थिक विषमता के आधार पर ही लोगों को सहूलियत दी जाय जातिवाद अब हमें खत्म करना चाहिए। इसी जातिवाद की वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं—चाहे पंजाब की समस्या हो, आसाम की समस्या या कोई और समस्या। हर आदमी अपनी-अपनी जाति, अपना-अपना धर्म जिन्दाबाद कहता है, देश भूल जाता है। इन सब बातों को खत्म करना है। ऐसा बिल लाना चाहिए, ऐसा संविधान में चेंज करना चाहिए कि सबके लिए यूनीफार्म सिविल कोड रहे। रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर, सार्वजनिक जीवन में उसको नहीं लाना चाहिए। ऐसा परिवर्तन संविधान में करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में बड़े-बड़े लोगों ने सेक्यूलरिज्म का समर्थन किया। मैं पूछना चाहता हूं कि राम क्षत्रिय थे, सीता कौन थी। उसका पता नहीं है। राम तो राजा थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा कि एक बड़े क्षत्रिय की लड़की से शादी करनी चाहिए। कृष्ण यादव थे, मगर रुक्मिणी कौन थी। उसका भी पता नहीं है। सारे अच्छे प्रोग्रेसिव राजाओं ने यही बताया है कि हिन्दुस्तान का नारा सेक्यूलरिज्म होना चाहिए। हमने वह नहीं अपनाया, लेकिन उनको भगवान बना दिया, उनकी पूजा करने लगे। महात्मा गांधी और पंडित ज्वाहरलाल नेहरू को भी भगवान बना दिया गया है। उनकी तारीफ करते हैं मगर इन्दिरा जी को गालियां देते हैं। कल इन्दिरा जी की तारीफ करेंगे, मगर राजीव गांधी को गालियां देंगे जिससे राजीव गांधी को वोट न मिले। आप वोट बैंक को छोड़ कर देश की ओर आइए और सोचिए कि क्या करना है। अगर इस देश के सामान्य आदमी को आपकी राजनीति पसन्द है तो वह आपको वोट देगा। यह डेमोक्रेसी है। हमारी प्रापर्टी नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया है सेक्यूलरिज्म का, डेमोक्रेसी का, साइंस और टेक्नोलोजी के डेवलपमेंट का उस पर भारत की जनता खुश है और वह हमारे साथ रहने वाली है।

हमारे दोस्त आदिनारायण रेड्डी जी जो विधेयक लाए हैं उस पर मुझे बड़ा गर्व है और उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। मिर्धा जी गृह मंत्री हैं, यहां बैठे हैं, मैंने उनके बारे में जानकारी की, वे बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने बड़े प्रोग्रेसिव कदम उठाए हैं अपनी जिन्दगी में। और यह भी गौरव की बात हो जाएगी भारत के संविधान में कि जो सारे रोग हैं, जो सारे डिजीजेज हैं उनको खत्म करना है तो हमें रिलीजन को खत्म करना होगा, जाति को खत्म करना होगा और उसके बाद यहां एक ही जाति रहेगी। न हिन्दू रहेगा, न मुसलमान रहेगा, यहां केवल इंसान की औलाद इंसान रहेगा। और बापू जी ने कहा था कि 'हम लाये हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस

देश को रखना मेरे बच्चों सम्हाल के ।' तो इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस पर बोलने का समय दिया ।

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक रेड्डी साहब ने प्रस्तुत किया है वह बहुत आवश्यक और सामाजिक है और सच्चाई तो यह है कि जहां तक सिद्धान्तों की बात है भारत का सिद्धान्त तो विश्वबंधुत्व का रहा है । वसुधैव कुटुम्बकम का रहा है । सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत'' का रहा है । प्राणि मात्र के सुख की कामना करने वाला भारत का सिद्धांत पुराना है । पर सच्चाई यह है कि इन सिद्धान्तों के बावजूद जैसा कि अन्य लोगों ने कहा कि हम स्वराज्य से पहले जाति और धर्म में इस तरह बंट गये हैं कि उनके चलते हम ने बाहरी शक्तियों को बुलावा दिया, बढ़ावा दिया और एक दूसरे का मान अपमान करने के कारण हजारों साल तक गुलाम रहे । हमारे देश के राजनीतिक नेताओं ने जिन की शुरुआत महर्षि दयानन्द जी ने की थी और बाद में रानाडे और बहुत से लोग उसमें आ मिले और बाद में गांधी जी, मौलाना आजाद, किदवई जी आदि आये उन लोगों ने विभिन्न प्रान्तों के लोगों और एक राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर अंग्रेजों की हुकूमत को इस देश से बाहर निकाल दिया और खाली अंग्रेजों को ही नहीं निकाला बल्कि फ्रांसीसियों को और पुर्तगीज को भी निकाला और यहां 600 से ज्यादा राजे रजवाड़े थे उन सब को भी समाप्त किया । उन रजवाड़ों में बहुतों ने हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो या काश्मीर हो उन्होंने बात को समझने में देर की लेकिन उस के बावजूद हमारे स्वर्गीय नेताओं ने अपने इस आजादी के सपने को साकार किया और उन्होंने इस देश को धर्म और जाति और भाषा के सवालों से ऊपर उठा कर विदेशी ताकतों का मुकाबला किया और उन्होंने उन बाहरी ताकतों को यहां से बाहर निकाला । आज जफर के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं । सभी ने कहा है । मुझे मालूम है जफर के लड़कों के बारे में कि जब उन के सिर उस के सामने पेश किये गये तो जफर के मुंह से यही बात निकली :

> ''जफर आदमी उस को ना जानिए,
> वह फहम ओ, जफा सही
> जिसे ऐश में यादें खुदा न रही
> जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा।''

इतने ऊंचे उन के खयाल थे और इसलिये हम सब उनकी सराहना करते हैं । वह देश को ऊंचा मानते थे । देश भक्त किसी भी जाति का हो उसे ऊंचा माना जाता है । स्वराज के पहले राष्ट्र भाषा का सवाल नहीं था । यहां राष्ट्र भाषा हिन्दी का सवाल भी पेश कर दिया गया और कई वक्ताओं ने उस को बहुत व्यापक बना दिया । लेकिन स्वराज के पहले दक्षिण के लोग ही कांग्रेस में हिन्दी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया करते थे । इस वोट की नीति ने हम को थोड़ा कमजोर किया है और भाषा, धर्म और जाति के नाम पर जो फर्क बढ़ा है वह वोट के लालच से बढ़ा है इस से हमको इनकार नहीं करनी चाहिए । जैसा लोग कहते थे कि भले ही धर्म बदल लें जाति नहीं जाती, किसी धर्म में चले जायें जाति बरकरार रहती है इस सच्चाई से भी हमको इनकार नहीं करना चाहिए । चाहे पार्टी कोई भी हो चुनाव में वोट के लालच में जाति के सवाल को लेकर ही हम चलते हैं । यह हमारी कमजोरी है । इससे हम को ऊपर उठना चाहिए । इसके कारण जो कमजोरी मुल्क में है उस को हमें छुपाना नहीं चाहिए । हम सौभाग्यशाली मानते हैं इस देश की जनता को जिस ने विदेशी ताकतों को इस देश से बाहर निकाल दिया और हमारे देश के नेताओं ने चाहे यहां चीन का हमला हुआ हो या पाकिस्तान का उसका मुकाबला किया । श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ और ऐसे दुखद मौके पर इस देश की जनता भाषा, प्रान्त, जाति और धर्म के नाम पर नहीं बंटी, यह सौभाग्य की बात है । पर जो हुक्मदेव नारायण यादव जी कह रहे थे कि अंतर जातीय विवाह करने वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इस नारे को चौधरी चरण सिंह जी पहले बहुत लगाया करते थे और मैं उनके सामने भी उसका विरोध करता था । दिल खोलकर मैंने इसके खिलाफ बात की । मैं तो कार्य

[श्री रामचन्द्र विकल]

समाजी और कांग्रेसी था। हमारी जाति कोई नहीं जानता था, लेकिन चुनावों में हमारी जाति भी जानी गई। मैं तो किसान की बात कहता हूं। पर चुनाव एक कमजोरी है सारे समाज के लिए जिसमें सबकी जाति जानी जाती है। जब हम स्वराज के लिए लड़ रहे थे तो उसके बाद भी कोई हमारी जाति नहीं जानता था। यह सब बाद में शुरू हुआ। तो मैं कह रहा था कि अंतर जातीय विवाह के लोभ के कारण नहीं होने चाहिए, नौकरी के लोभ के कारण नहीं होने चाहिए। उन लड़के लड़कियों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। एक बार चौधरी चरण सिंह ने मंत्री परिषद् में भी इस प्रस्ताव को रखा। मैंने उसका दिल खोल कर विरोध किया कि लोभ से जाति प्रथा समाप्त नहीं होती। लव मैरिज ज्यादा काम-याब नहीं होती क्योंकि वे क्षणिक भावावेश में होती हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स की हालत यह है कि वह छुरा दिखाकर अपने नंबर बढ़वा लेता है, छुरा दिखाकर अध्या-पक से नंबर लिखवा सकता है। बेकारी देश में इतने बड़े पैमाने पर है, तो लोग धमकी देकर लड़की से अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी मिलने पर वे बेशक उसको छोड़ भी दें। इसलिए लोभ से अंतरजातीय विवाह हो यह उचित नहीं है। लेकिन परिवार के लोग यह सोचें कि हमें अंतर जातीय विवाह करना है तो उचित होगा। अपराधी चाहे आज जो कुछ कर सकता है, करा लेता है, अपराधी के खिलाफ गवाही देने वाला उठ नहीं सकता। नौकरी का लोभ दे दो तो नौकरी जब वह रिश्वत देकर प्राप्त कर लेता है तो अंतर जातीय विवाह भी करके नौकरी ले सकता है। इसलिए नौकरी के लोभ में अन्तर्जातीय विवाह नहीं होना चाहिए। अन्तर्जातीय विवाह का हामी होते हुए भी मैं कहना चाहता हूं कि उसके दुखद परि-णाम हो सकते हैं, दुखद घटनाएं हो सकती हैं।

श्रीमन्, सेनाओं से जाति को हटाने के लिए मैं कई बार प्रस्ताव लोकसभा में रख चुका हूं चाहे डिफेंस मिनिस्टर कोई भी रहा हो। उस पर विचार भी किया गया। हालांकि सेनाओं की बात कहना यहां जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि सेनाओं के नाम, रेजिमेंट भी जातियों के नाम पर रखे हुए हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेजों ने रखे थे। ये रेजिमेंट उनकी हिमायत कर रहे थे, इसलिए उनके नाम से रख दिए। उन जातियों के नाम से रखे गए नाम आज भी 38 साल की आजादी के बाद हटाए नहीं गए हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रांतों के नाम से सेनाओं के नाम रख सकते हैं, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है। उनको प्रांतों के नाम से कर दें। बहुत बड़े देश भक्त हमारे देश में नेता हुए उनके नाम भी रख सकते हैं। लेकिन जातियों के नाम से तुरन्त सेनाओं के नाम हटाए जाने चाहिए।

श्रीमन्, मैं बहुत आभार मानता हूं कि रेड्डी जी ने एक ऐसे तात्कालिक प्रश्न को देश के सामने रखा है। जो देश की स्व-तंत्रता हमने अर्जित की है उसको आज धक्का लग रहा है। विदेशी शक्तियां धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में, पैसे की आड़ में और पता नहीं, भाषा आदि के नाम पर हमारे देश को कमजोर बना रही हैं। मैंने साधुओं, महात्माओं को भी कोर्टों में मुक-दमें लड़ते देखा है, मैंने उनसे पूछा महात्मा जी आप कचहरी में कैसे आए? तो वे कहते हैं मेरी गद्दी का मुकदमा है। उन्होंने घर छोड़ा, सन्यास लिया फिर भी मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। तो महात्मा भी आज के युग में पैसे के शिकार हो रहे हैं और विदेशी शक्तियां हमारी कमजोरियां जानती हैं। इन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने एजेंट भेज रखे हैं। इस देश की कमजोरी धार्मिक भी है, भाषा भी है, क्षेत्र भी है और कुटुम्ब भी है, जातियों से बच कर आज के बच्चे गोत्र लिखने लगे हैं। रेड्डी साहब ने जाति की बात कही है मैं तो यह कहूंगा कि गोत्र नहीं लिखना चाहिए। जातियों से नीचे जा रहे हैं जो कमजोरी है उसको हम को छिपाना नहीं चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस

विधेयक को मान लेना चाहिए यह राष्ट्र के व्यापक हित में होगा। जो कमजोरी हमारे देश में है उसके हम सब शिकार हैं। अगर कोई उससे इन्कार करता है तो मैं उसका समर्थन करने वाला नहीं हूं। इस कमजोरी के हम सब शिकार हैं। यह व्यापक हित में विधेयक है। यह न किसी पार्टी के हित में है, न भाषा के हित में है, न प्रान्त के हित में है यह बल्कि एक राष्ट्रीय व्यापक हित में है इसे सरकार को पास कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय को फिर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कमजोरी को पकड़ा है जिस कमजोरी से हम सब ग्रस्त होते जा रहे हैं। मैं प्रस्ताव का दुबारा समर्थन करता हूं और साथ ही सरकार से इसे पास करने का अनुरोध करता हूं।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Abolition of Caste and Religious Titles from Names Bill, as introduced by Shri Adinarayana Reddy is indeed to be welcomed and in this context the situation at present obtaining in the country is necessary to be taken into consideration while considering this Bill. While I agree with the spirit of this Bill, I feel that there are some practical difficulties in the implementation of what he has said. No doubt, religion and castes have played havoc in the country. But there are instances where this may not be practicable. While considering this, I take my own State of Jammu and Kashmir into account. I say this because we are proud that ours is one of the States in the country which has a secular tradition not only in the context of the historical background but in practice also. My name is Ghulam Rasool Matto. I am giving an instance. Matto is a caste. And it is in both amongst the Hindus and the Muslims. Now, if the caste of 'Matto' is taken away, what will remain out of it? There are Kauls. I think, there is one Mr. Kaul in the official gallery also at this point of time. There are Kauls both in the Muslims and the Hindus. So, if you take out this, if you do away with this caste, you are not able to meet that object. Now, if Matto is taken out, from my name what remains is 'Ghulam Rasool'. I have got to be named by some name. If I have got to be named by some name, 'Rasool' will definitely connote that I am a Muslim. So, this seems a little impractical. But I really agree with the spirit behind this Bill that Mr. Adinarayana Reddy has put forward. And for that, I think, Sir, we should go to the root causes as to why he has brought out this Bill. He has really come out with a finger on the pulse of the nation. Castes have divided our country. Religion has divided our country. And this needs to be curbed There is no doubt, as Kalpnath Raiji has said that our great organisation, the Congress founded by Mahatma Gandhi really wanted casteless Society to be our foundation. But has it really happened? I regretfully have to say that it has not happened. The situation is that even with regard to the religion, merely cutting out the name from the various forms will not serve the purpose unless the people of that religion are fully satisfied. If, for instance, a majority of people from a community feel aggrieved on economic front or on political front or on any other front, merely non-inclusion of their names will not give the solution. We have got to go deep into the solution of this problem. If we are really wedded to secular thought and secular ideals, we have to see to it that every community, every caste gets equal treatment in all spheres of life. For instance, there is a cry that enough representation in services and in economic sphere is not given to Muslims. Merely by deleting their names, you will not satisfy this ambition that they should play a role in the nation building. That role they can only play when they are satisfied that in term of services, in terms of economic development they get the same treatment as other communities are getting. Similarly, in the case of castes, as Mr. Hukam Deo Narayan Yadav very correctly pointed out that in the case of castes also even if they change religion, they carry their caste status along with them. What is really needed is, in the first instance, a change in our own thinking that all of us should consider ourselves Indians first and Indians last and that this is a democratic

[Shri Ghulam Rasool Matto]

secular India. For that purpose we must not think in terms of communities, castes and wherever these barriers exist, we must see to it that they are removed. This is so far as the people of this country are concerned.

So far as the Government is concerned, it is obligatory on them that they should see to it that no caste or no religious group is discriminated against in service or in economic field or upliftment or in any other sphere, so that a day may come when it may be immaterial whether Mr. Satyanarayan Reddy is there or somebody else from a lower caste is there. So long as the lower caste man gets the same opportunity and treatment, he will not consider Mr. Reddy to be of a high caste. So, I would request the hon. Member that he should withdraw this Bill. I think that the idea behind the Bill has been amply met by the discussion in this House so that we all here, Hindus, Muslim , Sikhs, upper castes, lower castes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, all think ourselves as Indians and see to it, the upper castes must see to it, that the lower castes are not discriminated against. The upper castes shou d see to it that members of any minority community or any religious community are not di criminated against. When this thing happens, all these things will become negligible and will not be taken into consideration.

With these words, Sir, I would request the Hon. Mover of this Bill that he should withdraw it. But I think that he has done a yeoman's service by bringing forth this Bill as a result of which the attention of the Government and ourselves is drawn to the fundamental fact that this country has got to get rid of caste system or based on these religious considerations.

I hope, Sir, that he will accede to my request and withdraw the Bill. Thank you.

डा. रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे नामों से जाति और धार्मिक अभिनामों का उत्सादन विधेयक 1983 पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसका संबंध राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की भावात्मक एकता, राष्ट्र की प्रभुसत्ता, राष्ट्र के लोकतंत्र तथा राष्ट्र में धार्मिक निरपेक्षता का वातावरण बनाये रखने से है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने इस माननीय सदन में एक अत्यन्त ही सामयिक और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है। श्रीमन्, इस माननीय सदन में मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय विद्वान सदस्यों ने अपने अत्यन्त सारगर्भित विचार प्रकट किये हैं जो अत्यन्त उपयोगी हैं और साथ ही गम्भीरता से चिंतन एवं मनन के योग्य हैं। जहां तक मैंने इस विधेयक में निहित सद्भावना को समझने का प्रयास किया है, उसके अनुसार मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की भावात्मक एकता में जातिवाद, साम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद एवं भाषावाद ये तत्व अतीत में बाधक रहे हैं, वर्तमान में बाधक हैं और भविष्य में भी बाधक रहेंगे। माननीय सदस्य ने इस विधेयक के द्वारा इन चार बाधक तत्वों में से दो बाधक तत्व, जाति वाद तथा साम्प्रदायिकता को समाप्त करने की दिशा में अपने क्रान्तिकारी विचार प्रकट किये हैं। श्रीमन्, उन्होंने कहा है जिसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं। समूचे समाजविरोधी तथा फूट डालने वाली ताकतें सर उठा रही हैं। मैं समझता हूं कि उनकी इस बात से इस माननीय सदन के दोनों पक्षों के समस्त माननीय सदस्य सहमत होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जाति तथा धर्म साम्प्रदायिक भावना भड़का कर देश का विघटन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके इस विचार में भी दो मत नहीं हो सकते। यह वास्तविकता है और यह एक कटु सत्य है। आज राष्ट्र में साम्प्रदायिक और समाजविरोधी शक्तियां देश में विघटन करने का प्रयास तीव्र गति से कर रहे हैं और भारत की

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, इस दिशा में इससे बढ़कर बलिदान और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा है कि देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इस माननीय सदन के चाहे सत्तारुढ़ दल के सदस्य हों चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं, समस्त राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि इस समय राष्ट्र में काश्मीर से कन्या कुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक साम्प्रदायिक दंगे फैल रहे हैं जो हमारे लिए संसद के रूप में, देश के नागरिक के रूप में अत्यन्त चिंता का विषय है और इस माननीय सदन का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। यह अत्यंत चिंता एवं चिंतन का विषय है। इस समय राष्ट्र में साम्प्रदायक और विघटनकारी शक्तियां जिस प्रकार से सक्रिय हो रही हैं जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं उससे निश्चित रूप से देश का लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का वातावरण निर्बल हो रहा है, दूषित हो रहा है, और हमारे राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो रही है और इस पर हम सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे साथी माननीय रेड्डी साहब ने इस माननीय सदन के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है जिस पर इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है। उन्होंने चाहा है कि सरकारी विभाग शिक्षा संस्थाएं, लोक सेवा संघ, रोजगार कार्यालयों आदि के द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जो जाति या धर्म बताना पड़ता है उस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यह प्रश्न एक अत्यन्त महत्व का और गम्भीर प्रश्न है। जहां तक मैं समझता हूं उनका जो प्रस्ताव है वह राष्ट्रीय भावात्मक एकता, राष्ट्र की अखंडता राष्ट्र की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए साध्य न हो करके साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहां तक प्रपत्रों में जाति और धर्म का उल्लेख न किये जाने का विचार है मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा विचार है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। अब इसमें, इस कार्य में जो व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी उस पर विचार किया जा सकता है परन्तु हम लोगों को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या प्रपत्रों से केवल जातिसूचक और धर्मसूचक शब्दों को हटा देने मात्र से जातीयता या साम्प्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। यह बड़ा गंभीर प्रश्न है। इस पर हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। क्योंकि यदि हमारे मन में जातिवाद की भावना रही, यदि हमारे मन में सांप्रदायिकता की भावना रही, यदि हमारे मन में भाषावाद की भावना है, यदि हमारे मन में क्षेत्रीयता की भावना है तो मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि क्या केवल जाति और धर्मसूचक शब्दों के हटा देने मात्र से जातिवाद और साम्प्रदायिकता समाप्त हो जायेगी। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। हमारे माननीय और विद्वान सदस्य ने जो विचार यहां पर प्रकट किये हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि उनके मन में जो एक राष्ट्रीयता की भावना है, उनके मन में जो एक राष्ट्रीय भावात्मक एकता की भावना है, उनके मन में जो राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की प्रभुसत्ता के लिए समर्पण की भावना है उससे प्रेरित होकर ही उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। अब यह राष्ट्रीय भावात्मक एकता, राष्ट्र की अखण्डता और राष्ट्र की प्रभुसत्ता, हमारा लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित रहे, किस प्रकार से पल्लवित और पुष्पित हो इस पर हमें विचार करना होगा। श्रीमन मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि यह आवश्यक है कि राष्ट्र के समस्त राजनैतिक दल इस बात पर एक राष्ट्रीय सहमति ले आयें आपस में विचार विमर्श करके, कि हम किस प्रकार से राष्ट्र में जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद, को समाप्त करें। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। केवल विचार नहीं करना बल्कि हमें कर्म करने होंगे जिनके द्वारा हम जनता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता कर सकें ताकि वह जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद से उठ सके। मैं समझता हूं कि इस बात को करना एक शुभारम्भ करना होगा कि देश के समस्त राजनैतिक दल इस बात का संकल्प लें कि हम अपने राजनैतिक दल में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद और क्षेत्रीयता को मुद्दा नहीं बनाएंगे। हम मत को प्राप्त करने के लिए जातिवाद नहीं करेंगे. हम मत को प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिकता नहीं करेंगे, हम मत को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रवाद नहीं

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

करेंगे, हम मत प्राप्त करने के लिए भाषावाद नहीं करेंगे। पहले तो हमें इस चरित्र का परिचय देना होगा, हम जो जनप्रतिनिधि हैं समस्त राजनैतिक दलों के, मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम सब लोग, भारत की यह संसद, सर्वोच्च सदन, हमारे माननीय सदस्य इस बात पर दृढ़-संकल्प होंगे और इसको कार्यान्वित करेंगे कि हमें देश में राष्ट्रीय भावात्मक एकता को बनाना है तो मैं समझता हूं कि हम देश में एक राष्ट्रीय भावात्मक एकता का निर्माण कर सकेंगे।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Further discussion on this Bill will be continued on the next day allotted for the Private Members' Bills. Now papers to be laid by the Finance Minister, Shri Poojari.

PAPERS LAID ON THE TABLE—contd.

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Sir, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue), together with an Explanatory Memorandum thereon:

(i) Notification No. 258/86-Customs, dated the 25th April, 1986, exempting crude palm kernel oil when imported for the manufacture of fatty alcohols from basic customs duty in excess of 30 per cent *ad valorem* [Placed in Library. *See* No. LT-2565-A|86].

(ii) Notification No. 259/86-Customs, dated the 25th April, 1986, exempting crude palm kernel oil from the whole of the auxiliary duty. [Placed in Library. *See* No. LT-2565-A|86].

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): The House *stands adjourned till 11* A.M. on Monday, the 28th April, 1986.

The House then adjourned at one minute past five of the clock, till eleven of the clock, on Monday, the 28th April, 1986.